विश्व मामलों
की
भारतीय परिषद

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति क्यों? और कैसे?

कॉपीराइट © 2021

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ एच.एन. कुंज़रू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और विचार के संग्रह के रूप में कार्य करना था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद आज अपने एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करता है और प्रकाशनों की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है। इसका एक उत्कृष्ट रूप से भंडारित

पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए के अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हैं। परिषद की भारत में अग्रणी शोध संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी है।

	विश्व मामलों की भारतीय परिषद

विषय-वस्तु

पृष्ठभूमि	4
एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति .... क्यों? और कैसे?	7
वक्ताओं के बारे में	41

विश्व मामलों की
भारतीय परिषद

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अकादमिक अध्ययन के भीतर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं कूटनीति के अभ्यास में, लैंगिक मुद्दों ने समकालीन राजनीति में महत्वपूर्ण दृश्यता प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में लिंग पर भविष्य की बहसों, और बदलते समय में भारत को अपना रुख किस प्रकार रखना चाहिए, पर विचार-विमर्श करने के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने 11 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में "एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति - क्यों? और कैसे?" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। ।

एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति को शांति और सुरक्षा, सतत विकास से लेकर मानवीय सहायता और मानवाधिकारों तक की विदेश नीति के मुद्दों के पूरे विस्तार पर लिंग का एक लेंस लगाना होगा। निर्णय लेने के स्तर पर और बातचीत की मेज पर भारतीय राजनयिक कोर में महिलाओं के गुणात्मक और मात्रात्मक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्वपूर्ण मुद्दे के अलावा, एक लिंग संवेदनशील भारतीय विदेश नीति को खुद को बड़े सवालों से जोड़ना होगा, जैसे कि भारत की विकास साझेदारी - विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण के माध्यम से अन्य विकासशील देशों की सहायता करने के कार्यक्रम - को कैसे लिंग-संवेदनशील बनाया जाए। इसके लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत वितरण के लिए भी महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी। विदेश में भारतीय नारी की दशा में सुधार करने के लिए कौन से कार्यक्रम और नीतिगत ढाँचे का अनुसरण किया जा सकता है - चाहे वह अमेरिका में आईटी पेशेवर हो या खाड़ी में परिचारिका, पति के साथ रहने वाली पत्नी या विदेश में परित्यक्त भारतीय महिला हो? पैनल ने वैश्विक महिला, शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र में रखे जाने का और यह आकलन करने का भी प्रस्ताव रखा कि भारत ने शांति और सुरक्षा के मुद्दों के लिंग आयामों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए

वैश्विक नियामक ढाँचे के साथ किस हद तक गठबंधन किया है। भारत के दृष्टिकोण में क्या सकारात्मकताएँ हैं, क्या कमियाँ हैं और आगे का रास्ता क्या है? इन सवालों के जवाब तलाशने में, पैनल ने यह देखने का भी प्रस्ताव दिया कि भारत को लिंग-संवेदनशील विदेश नीति क्यों अपनानी चाहिए और इस तरह के दृष्टिकोण के नैतिक और दार्शनिक आधार क्या हैं।

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति - क्यों**?** और कैसे**?**

- लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति के क्या तत्व हैं**?** भारत को लैंगिक संवेदनशील विदेश नीति क्यों अपनानी चाहिए**?**
- लिंग-संवेदनशील विकास साझेदारी कार्यक्रम (परियोजनाएँ और क्षमता निर्माण)**,** लिंग-संवेदनशील मानवीय सहायता और आपदा राहत वितरण, विदेशों में भारतीय महिला के परिवेश के मुद्दों के लिए एक लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए सचेत प्रयास - क्यों**?** और कैसे**?**
- वैश्विक महिला**,** शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) एजेंडा के लिए भारतीय दृष्टिकोण - भारत ने शांति और सुरक्षा के मुद्दों के लिंग संबंधी आयामों को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए वैश्विक मानक ढाँचे के साथ किस हद तक गठबंधन किया है**?** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2021-22 के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत के वर्तमान कार्यकाल के लिए यह कैसे प्रासंगिक है**?**

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति- क्यों? और कैसे?

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति- क्यों? और कैसे?

अध्यक्ष और मॉडरेटर - **राजदूत निरुपमा मेनन राव** (भारत की पूर्व विदेश सचिव)

सभी को नमस्कार। आज विदेश नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता के बारे में इस चर्चा की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आईसीडब्ल्यूए के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ।

आज राजनयिकों के रूप में, महिलाएँ या पुरुष, हम न केवल कूटनीति के शिल्प का अभ्यास करने के लिए काम करते हैं, बल्कि हम नरम या बेहतर शब्दावली में कहें तो स्मार्ट पावर का अभ्यास करने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और विकास से संबंधित मामलों के प्रति चिंतित हैं। यह आज विदेश नीति का जीवन चक्र है।
लेकिन लिंग के विषय की ओर आते हुए, अपने पारंपरिक रूप और संरचना में, विदेश नीति ने महिलाओं और बच्चों पर इसके कामकाज के प्रभाव के रूप में, एक सुसंगत तरीके से अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं किया या ध्यान नहीं दिया है। एक देश के रूप में, भारत में, हमने सैन्य समाधानों पर राजनयिक समाधानों को सही प्राथमिकता दी है, लेकिन नीति अवधारणा में महिलाओं, शांति और सुरक्षा के सवालों पर हमने क्या ध्यान दिया है और क्या परंपरागत रूप से उपेक्षित लोगों को आवाज दी गई है? हमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपनी महिलाओं के योगदान पर गर्व है, और यह सही भी है, लेकिन हमारी विदेश नीति में लैंगिक संवेदनशीलता के पूरे क्षेत्र में अभी भी महत्व दिया जाना बाकी है, खासकर इसलिए कि अधिक महिलाओं को हमारी राजनयिक ताकत में जोड़ा जाता है और वे देश की विदेश सेवा में प्रमुख जिम्मेदारियों को निभाती हैं।

महिलाओं में डिप्लोमेसी की पूर्ववृत्ति होती है - यह हमारे जीन में होता है। एरिस्टोफेन्स की कॉमेडी, लिसिस्ट्रेट (400 ईसा पूर्व) तीन अलग-अलग शहरों की महिलाओं के बारे में है, जो युद्ध और शांति के मामलों में पुरुषों की सफलता की कमी से निराश होकर पेलोपोनेसियन युद्ध को समाप्त करने के लिए खुद को संगठित करती हैं। इन महिलाओं के काम के लिए एरिस्टोफेन्स ने जो रूपक इस्तेमाल किया वह बुनाई था "असाधारण कूटनीतिक क्षमता वाली महिलाओं को चित्रित करने के लिए, जो समाज के दो पहलुओं, शांति के लिए वार्ता और 'राष्ट्रों का ताने-बाने' को एक साथ बुनती हैं"। एक आदर्श दुनिया में महिलाओं के इन जन्मजात गुणों की पहचान होगी। लेकिन जीवन परिपूर्णता से बहुत दूर है। और, अपरिहार्य वास्तविकता यह है कि जैसा कि कहा जाता है पुरुषों के पास बाहुबल है और इसका समर्थन

करने के लिए मीडिया और पैसा है, वैसे ही जैसे दूसरी ओर हम महिलाएँ जीवन के चरखों पर कूटनीति का ताना-बाना बुनती हैं। हमें समानता के संयोजन की आवश्यकता है, सभी के लिए समानता, पुरुषों और महिलाओं की शक्तियों को साझा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

हमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपनी महिलाओं के योगदान पर गर्व है, और यह सही भी है, लेकिन हमारी विदेश नीति में लिंग-संवेदनशीलता के पूरे परिप्रक्ष्य में अभी भी महत्व दिया जाना बाकी है, खासकर इसलिए कि अधिक महिलाओं को हमारे राजनयिक पदों पर लाया गया है और वे देश की विदेश सेवा में प्रमुख जिम्मेदारियों को निभाती हैं।

---

1 स्टेला क्यारीकाइड्स, डिप्लोमेसी में महिलाएं - साइप्रस के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित "वीमेन इन डिप्लोमेसी" कार्यक्रम में दिया गया , 21 फरवरी 2020, यूरोपीय आयोग, https://ec.europa.eu/connnnission/com-missioners/2019-2024/kyriakides/announcements/women-dip[cimacy-deltvered-women-diplomaty-event-host-ed-ministry-foreign-affairs-cyprus_en

ऐसा कहा जाता है कि एक नारीवादी विदेश नीति, समाज के कमजोर और कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के दृष्टिकोण से शांति, सुरक्षा, आर्थिक कल्याण और विकास के प्रश्नों के लिए एक अंतर-अनुभागीय दृष्टिकोण अपनाती हैं।

विभिन्न देशों में विदेश नीति, लिंग-विचारहीन होने की ओर प्रवृत्त रही है। लेकिन परिदृश्य बदल रहा है। 2014 में, स्वीडन यह कहने वाला पहला देश बन गया जिसने नारीवादी विदेश नीति शब्दावली को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह की नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं के लिए संसाधनों तक समान पहुँच और लैंगिक समानता पर केंद्रित महिलाओं के अधिकारों के सम्मान पर ध्यान केंद्रित करेगी, और यह कि यह जोसेफ नी के "स्मार्ट पावर" के विचार पर आधारित एक विचार था।

इसका उद्देश्य उस आधी आबादी को शामिल करना था जिसे अब तक लगभग व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया है और भुला दिया गया है - अर्थात् महिलाएँ। तब से फ्रांस, कनाडा, मैक्सिको और नीदरलैंड कुछ अन्य देश हैं जो इस विचार के अपने स्वयं के प्रतिरूपों के साथ सामने आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक नारीवादी विदेश नीति, समाज के कमजोर और कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के दृष्टिकोण से शांति, सुरक्षा, आर्थिक कल्याण और विकास के प्रश्नों के लिए एक अंतर-अनुभागीय दृष्टिकोण अपनाती हैं।

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी सरकार की नीति हमारी महिला आबादी, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, और उनकी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य और कल्याण को आगे बढ़ाना है, हमारे वैश्विक दृष्टिकोण और हमारी विदेश नीति की परिभाषा में इन बुनियादी मूल्यों को अभिव्यक्त करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, सरकार वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एक महिला राजदूत की नियुक्ति पर विचार कर सकती है (जैसा कि ओबामा प्रशासन ने मेलान वर्वीर के साथ किया था) या विदेश नीति में महिलाओं पर नीति नियोजन के लिए एक कार्यालय बना सकती है जो नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के समग्र विस्तार को देखेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के मुद्दों, समावेश और विविधता को हमारी विकास कूटनीति, आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता और व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्षेत्रीय सहयोग में जगह मिले, साथ ही संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण में महिलाओं की आवाज सुनिश्चित की जाए।

भारत की संस्थापक 'माताओं' में से एक, जैसा कि मैं उन्हें कहना चाहूँगी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने पुरुष और महिला को एक साथ आगे बढ़ते हुए राह के साथियों के रूप में देखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए इस सप्ताह के लिए व्यक्त करने के लिए यह एक अद्भुत छवि है । उनका विश्व-दृष्टिकोण इस अहसास पर आधारित था कि, विशेष रूप से, भारत की महिलाओं को, एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करना है जो संकीर्णता से परे, शालीनता, शांति और खुशी के आधार पर एक सहकारी विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ता है। बेशक, पुरुष या महिला होने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि विजय लक्ष्मी पंडित ने एक बार कहा था, दोनों लिंगों को विश्व मामलों में अपने हिस्से के कर्तव्य करने हैं। नारीवादी दोनों लिंगों में हो सकते हैं।

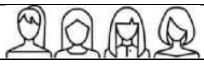

विदेश नीति में 'नारीवाद' ... शांति और विकास के मामलों में नीति निर्माण में स्त्री मूल्यों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

हाल ही में यह कहा गया था नारीवाद हमसे माँग करता है कि हम शक्ति, कौन शक्ति का प्रयोग करता है, किसे सत्ता तक पहुँचने से रोका जाता है, और क्यों पर समग्र रूप से नज़र रखें । यह लिंग से बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है, यह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले और संघर्षरत लोगों के लिए समानता का सवाल है। हमें एक प्रणालीगत लेंस की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम ऐसी जरूरतों से निपट सकें।

कूटनीति लिंग-तटस्थ हो सकती है, लेकिन यह लिंग-विचारहीन नहीं होना चाहिए- इसे मध्य मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना होगा, युद्ध को खत्म करने के लिए शांति प्राप्त करना, कुशल बातचीत पर जोर देना, विविधता को अपनाना और पदानुक्रम और आधिपत्य की पुरानी अवधारणाओं से बचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि कूटनीति को लिंग-तटस्थ होना चाहिए तो हमारा मतलब है कि इसे उन मुद्दों के बारे में होना चाहिए जो मानव कल्याण से संबंधित हों, जिसमें महिलाएँ इस दृष्टिकोण के अविभाज्य घटक के रूप में हों । महिलाओं की आवाज़ो को कूटनीति में एजेंडा और परिणामों को आकार देना चाहिए, और इसलिए महिलाओं को एजेंसी का अधिग्रहण करना चाहिए और - विशेष रूप से युद्ध और संघर्ष से टूटे हुए समाजों के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के मुद्दों पर - खुद को अधिक प्रभावी ढंग से सुने जाने के प्रयास किए जाने चाहिए – जैसा कि एक अफगान महिला ने एक बार कहा था, "हम विनाश के लिए तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हमें पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।" इसलिए, एक नारीवादी (या, एक लिंग-संवेदनशील) विदेश नीति वह है जो संघर्ष समाधान, कूटनीति और व्यापार, सुरक्षा और भलाई के लिए राजनीतिक संवाद पर ध्यान केंद्रित करती है, नागरिक समाज संस्थानों और स्थानीय समुदायों में अंतर्समाहित किए जाने के लिए बहुपक्षवाद, समावेशन और अंतर्वर्गीयता पर जोर देती है । महिलाओं को हमारे समाज का भविष्य तय करने वाले निर्णय विमर्शों की भागीदार होना चाहिए। हमें सैन्य समाधानों के बजाय राजनयिक समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या हमने महिलाओं और बच्चों पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के प्रभाव पर विचार किया है? क्या कूटनीति और विदेश नीति में हमारे आपदा प्रबंधन का विस्तार महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव और उन्हें होने वाले लाभों से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक है? क्या जलवायु परिवर्तन पर हमारी नीति इस

श्रेणी के मनुष्यों के प्रति संवेदनशील है? हमारी विदेश नीति को, जो विकासशील दुनिया से संबंधित है, इन चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

विदेश नीति में 'नारीवाद' को हमें इस बारे में अधिक विचारशील बनाना चाहिए कि हम इस तरह के मामलों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसे शांति और विकास के मामलों में नीति निर्माण में स्त्री मूल्यों को एकीकृत करना चाहिए। इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को रेखांकित करना चाहिए। क्या पी-5 देशों में से कुछ ने महिलाओं और बच्चों पर अपने विरोधियों पर अपने प्रतिबंधों के प्रभाव पर विचार किया है - ईरान के परमाणु प्रतिबंधों का उदाहरण लें? अक्सर, इस बात की अनदेखी की जाती है कि इन फैसलों का प्रभाव किस पर पड़ने वाला है। नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर नागरिक समाज की बातचीत सुननी चाहिए।

आज, महिलाओं पर साल भर चलने वाली कोविड-19 महामारी का प्रभाव विशेष चिंता का विषय होना चाहिए, जिसमें घरेलू हिंसा का मुद्दा भी शामिल है - तथाकथित 'छाया महामारी' जिसने दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित किया है। जैसा कि इसाबेल अलेंदे ने हाल ही में कहा था, महिलाओं के खिलाफ आक्रामकता और हिंसा को महिला के मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं माना जाता है?

अमेरिकी राज्य हवाई ने हाल ही में महामारी के लिए एक नारीवादी आर्थिक सुधार योजना शुरू की, जो नीति प्रतिक्रिया के केंद्र में महिलाओं को केंद्रित करती है। इसे "पुल बनाना, पीठ पर लदना नहीं" कहा जाता है। हमें पानी, सफाई, स्वच्छता, आवास, लैंगिक डिजिटल विभाजन, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, रोजगार, मजदूरी में असमानता और जीवन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों को संबोधित करना होगा। जब कूटनीति विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे महिलाओं, और समग्र रूप से समाज को लाभ होता है। इसलिए, महामारी के प्रभावों पर काबू पाने के लिए हमारे दृष्टिकोण में एक अंतर्वर्गीय विश्लेषण की आवश्यकता है। हर चौराहे पर एक ऐसी महिला खड़ी होती है जिसे अवसरों तक समान पहुँच की जरूरत होती है। अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस ने हाल ही में महामारी के दौरान कार्यबल से महिलाओं के सामूहिक पलायन को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में बताया । उन्होंने कहा, "महामारी ने महिला कामगारों के लिए सही मायने में तूफान खड़ा कर दिया है।" क्या हमने देश और अपने क्षेत्र में महिलाओं पर महामारी के प्रभाव का आकलन किया है?

जहाँ महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, वहाँ महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रियाएँ सबसे अधिक उत्साहजनक और प्रभावशाली रही हैं। इस संबंध में न्यूज़ीलैंड की जैसिंडा अर्डर्न और ताइवान की त्साई इंग-वेन का उदाहरण दिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पुरुषों ने महिलाओं को संकट के समय में नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है - महिलाओं को गड़बड़ी से निपटने की इजाजत दी गई है - ब्रेक्सिट के दौरान यूके में थेरेसा मे के मामले को देखें। वे इसे ग्लास क्लिफ कहते हैं - महिलाओं को जिम्मेदारी के पदों पर तब नियुक्त किया जाता है जब विफलता की संभावना सबसे अधिक होती है। उम्मीदों के विपरीत, ऐसी स्थितियों में कई महिलाओं ने दिखाया है कि ग्लास क्लिफ कोई बाधा नहीं है और यह ग्लास सीलिंग की समान अवधारणा को दूर करने का एक हथियार भी हो सकता है!

महिलाओं को शांति प्रक्रियाओं में शामिल करना और उन्हें संलिप्त करना एक और चिंता का विषय होना चाहिए। अगर आधी आबादी को बाहर कर दिया जाए तो हम शांति कैसे बना सकते हैं? नीति निर्माताओं के लिए एक इनपुट के रूप में संघर्ष को रोकने और शांति निर्माण के लिए हमारे शोध आधार को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र और महिलाओं की भूमिका में लैंगिक समानता को देखना चाहिए। शायद यह हमें संघर्ष को हल करने के एकमात्र तरीके के रूप में कठिन शक्ति की धारणा को चुनौती देने में भी मदद करेगा,

कि हम शांति लाने के साधन के रूप में कूटनीति, व्यापार, समावेश के साधनों का भी उपयोग कर सकते हैं, और इस तथ्य को कभी न भूलें कि जब हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, हमें मानव सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें इस तथ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि हम जो भी नीति बनाते हैं वह पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग ढंग से प्रभावित करती है। हम जो भी नीतिगत निर्णय लेते हैं उस प्रत्येक निर्णय के लिंग प्रभाव को देखने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम नीति और निर्णय लेने के तंत्र में विविधता सुनिश्चित करें, और नीति बनाते समय हम महिलाओं के साथ परामर्श बढ़ाएँ और ताकि हर कोई जो किसी निर्णय से प्रभावित हो, अपनी आवाज़ उठा सके।

एक नारीवादी विदेश नीति शांतिवादी विदेश नीति नहीं है।

आम धारणा के विपरीत, नारीवादी विदेश नीति शांतिवादी विदेश नीति नहीं है। यह कठिन बातचीत को शालीन तरीके से करने के बारे में है। महत्वपूर्ण है कूटनीति और रक्षा को संतुलित करना, और रक्षा के लिए कूटनीति को सबसे पहले इस्तेमाल करना ताकि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय अधिक स्थिरता की ओर ले जा सकें। हमारे निर्णय ठोस डेटा विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए और हमें अपनी विदेश नीति के प्रयोग में लैंगिक समानता को एकीकृत करना चाहिए - नीति के व्यवहार में अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के डेटा का उपयोग करना चाहिए ।

केंद्रीय चिंता का एक अन्य मुद्दा महिला, शांति और सुरक्षा या डब्ल्यूपीएस एजेंडा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (यूएनएससीआर1325) के पारित होने के बीस साल बाद, भारत सहित कई सदस्य राज्यों ने डब्ल्यूपीएस राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) विकसित नहीं की है। भारत महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे का समर्थन करता है और वह स्वयं यूएनएससी प्रस्ताव के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इन प्रतिबद्धताओं और बात करने वाले बिंदुओं के क्रियात्मक रूप लेने में अधिक विवरण की आवश्यकता है। शायद, यह कार्य प्रगति पर है। सशस्त्र संघर्ष का मुद्दा - निहत्थे और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करने वाले हथियार के रूप में बल का उपयोग, जिसमें हम महिलाओं को शामिल करते हैं, का गैर-लड़ाकों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और यदि हम संघर्ष की रोकथाम और उन्मूलन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम इस कारक की अनदेखी नहीं कर सकते। हमें उनकी आवाज सुननी होगी और यूएनएससीआर 1325 पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनानी होगी और मानव सुरक्षा के सही अर्थ को समझना होगा। प्रमुख शासन संस्थानों और निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करना इसी प्रयास का एक हिस्सा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख पहचान होनी चाहिए।

अंत में, सुरक्षा अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक भारतीय महिलाओं की पहुँच और उदाहरण के लिए, इस देश में थिंक टैंक में वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर उनकी संख्या में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कई पितृसत्तात्मक और उलझी हुई बाधाओं को दूर करना है। महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर घरों में कैद करने की प्रवृति है। पुराने लोग पुराने ढंग से सोचते होंगे, हालाँकि ऐसे कई पुरुष हैं जो इस नियम के अपवाद हैं और विविधता और समावेश को महत्व देते हैं। एक महिला सुरक्षा अध्ययन विद्वान ने हाल ही में सुझाव दिया था कि भारत द्वारा

यूएनएससीआर1325 पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना, शांति और सुरक्षा में महिला विद्वानों की भूमिका और उपस्थिति को मजबूत कर सकती है। यह सुझाव निश्चित रूप से आगे विचार करने योग्य है।

भारत महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे का समर्थन करता है और वह स्वयं यूएनएससी प्रस्ताव के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इन प्रतिबद्धताओं और बात करने वाले बिंदुओं के क्रियात्मक होने में अधिक विवरण की आवश्यकता है। शायद, यह कार्य प्रगति पर है।

कुछ साल पहले, मैंने एक लेख "हैव द वीमेन स्पोकन?"[2] लिखा था। एक दक्षिण एशियाई के रूप में बोलते हुए, जिसे मैं अपनी भारतीय पहचान में जरूर शामिल करती हूँ, मैंने कहा: "मैं अक्सर सोचती हूँ कि दक्षिण एशिया के लिए एक नारीवादी विदेश नीति कैसी होगी। (यूरोप में, स्वीडन के पास यह है; हमारे पास नहीं) क्या हम ऐसे विमर्श पर विचार नहीं कर सकते जो युद्ध और शांति से अलग मामलों की बात करता है (दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में शांति सफेद झंडे, आत्मसमर्पण, अधीनता, कमजोरी से जुड़ी हुई लगती है)? क्या हम दक्षिण एशियाई जनसाधारण के बारे में सोचते हैं? एक दूसरे को बेदखल करने के अखाड़े की तरह नहीं, जहाँ हम खून के खेल में एक दूसरे को फाँसते हैं, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्य, मजबूत सभ्यता और आपसी सामंजस्य की परिपक्वता के लिए एक जगह के रूप में ? हमने अपने चारों ओर ऊँचे टावर गोले बना लिए हैं, लेकिन हमने जनसाधारण के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।"

भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई महिलाएँ एक-दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं। हम समान वंशावली और समान पुरुष पितृसत्ता के तहत श्रम साझा करती हैं। हम एक ही तरह से अपने बच्चों, अपने घरों, अपने परिवेश की परवाह करती हैं। हममें से प्रत्येक अपने-अपने तरीके से शांतिदूत बनने के लिए तैयार की गई हैं, और हम जीवन के खोने पर इसी तरह रोती हैं। हम साक्षरता, सशक्तिकरण, और पदानुक्रमों से मुक्ति चाहती हैं जो हमें रिक्त स्थान तक सीमित रखते हैं और सक्षम, प्रतिभाशाली, मनुष्य के रूप में हमारी प्रतिभा के पूर्ण विकास को रोकते हैं।

मैंने कहा था कि एक नारीवादी या लिंग-संवेदनशील विदेश नीति दक्षिण एशियाई सामान्य जन के विचार को अपनाएगी; यह विनाशकारी फूट के पक्ष में नहीं, बल्कि एकता को युक्तिसंगत बनाने, निर्माण करने, विकसित करने, जोड़ने की क्षमता के विलय के पक्ष में बोलेगी और कार्य करेगी । यह युद्ध को रोकने के लिए वीटो का प्रयोग करेगी, न कि शांति के लिए; यह भोजन के अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार, ज्ञान और सीखने के अधिकार, महिलाओं के अस्तित्व के मौलिक अधिकार, डिस्कनेक्ट, घिसी-पिटी रूढ़ियों और मानसिक बाधाओं, जो हमें विभाजित करती हैं, को अस्वीकार करने के अधिकार पर जोर देगी । यह मानवतावाद के हितों को, सत्ता के हितों के खिलाफ कहीं अधिक सटीकता और बुद्धिमत्ता के साथ तौलेगी। यह हिंसा को, सभी तरह के अपराधों के खिलाफ, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को न कहेगी। यह धुर दक्षिण और धुर वाम की आवाज को खारिज कर देगी। यह अनजान पुरुष या महिला, हाशिए पर पड़े, बहिष्कृत की सच्ची नब्ज को महसूस करेगी । इसमें जन-

केंद्रित दृष्टिकोण होगा। यह व्यापार-से-व्यापार जुड़ाव को बढ़ावा देगी, व्यापार के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करेगी, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करेगी, वाणिज्य की सुविधा प्रदान करेगी, एक जोखिम के रूप में निकटता को बढ़ावा देने के बजाय निकटता के अर्थशास्त्र को समझेगी।

2 निरुपमा राव, 'क्या महिलाओं ने बात की है?', द इंडियन एक्सप्रेस, 18 अक्टूबर 2016, https://indiianexpress.com/article/opinion/columns/india-pakistan-women-literacy-women-empower-ment-women-safety-3088484/

इतिहास की वेदी पर इन लाभों का बलिदान क्यों? इसके बजाय, इन संभावनाओं को संपत्ति के रूप में बढ़ावा दें जो अतीत की कथा को बदल सकती हैं, और शांति की संभावनाओं को महसूस कर सकती हैं जो अब तक इतनी मायावी रही हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि नारीवादी दोनों लिंगों में हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लैंगिक समानता, महिलाओं को सुनने के अधिकार को और ऐसे निर्णय लेने को, जो हमारे देश की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके नेतृत्व के अवसरों का विस्तार करने को मान्यता देते हैं और सम्मान करते हैं। अब समय आ गया है कि हम महिलाओं के रूप में इस विषय में अधिक बुद्धिमान और साहसी बनें कि हमारे हितों की रक्षा किस बारे में होनी चाहिए और नारीवादी विदेश नीति की पुरुषवादी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अधिकतम अधिकार के साथ बता सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है।

ये कुछ विचार हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे विशेषज्ञ पैनलिस्ट आज दोपहर हमारी चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं इस वेबिनार में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देती हूँ, यह एक अनूठा विशेषाधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।

डॉ अंकिता दत्ता (रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए)	धन्यवाद महोदया, मैं अब आपको सत्र की मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम पहले स्पीकर को बुला सकते हैं।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	ठीक है, तो मेरा अनुमान है कि हमारी पहली वक्ता स्वर्णा है। ठीक है न अंकिता? क्या हम स्वर्णा से अनुरोध कर सकते हैं जो चेन्नई से हमसे बात कर रही हैं, वह लिंग पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी को आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा; मैं आपको अपनी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
डॉ. स्वर्णा राजगोपालन (संस्थापक और प्रबंध न्यासी, प्रज्ञा ट्रस्ट चेन्नई):	नमस्कार! प्रारंभ में, इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए मैं विश्व मामलों की भारतीय परिषद को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं यह भाषण लिखने बैठी, तो मैंने महसूस किया कि शायद मैं इस विषय के बारे में बहुत कम जानती हूँ। मैं विदेश नीति के बारे में कुछ जानती हूँ- परंपरागत रूप से, वे सिद्धांत जिन पर राजनयिक आगे काम

	करते हैं, कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय हित की अभिव्यक्ति है और कुछ अन्य कारकों को मानते हैं। मुझे पता है कि पिछले दस वर्षों में, हममें से कुछ ने, और फिर कुछ देशों ने 'नारीवादी विदेश नीतियों' को अपनाया है।
	व्यवहार में, नारीवादी विदेश नीतियों का मतलब है कि वे मानवाधिकारों को पूर्ण और गैर-परिवर्तनीय मानेंगे; कि विकास और मानवीय सहायता विदेश नीति का एक अधिक महत्वपूर्ण साधन बनेंगे, और इन दोनों में, महिलाओं के अधिकारों और अवसरों की उन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी।

व्यवहार में, नारीवादी विदेश नीतियों का मतलब है कि वे मानवाधिकारों को पूर्ण और गैर-परिवर्तनीय मानेंगे; कि विकास और मानवीय सहायता विदेश नीति का एक अधिक महत्वपूर्ण साधन बनेंगे, और इन दोनों में, महिलाओं के अधिकारों और अवसरों की उन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी।

पहली नज़र में, मुझे, एक "लिंग संवेदनशील विदेश नीति" संवेदनशील पुरुष निर्णय निर्माताओं को खुश करने (या तुष्टिकरण करने) के लिए संवेदनशीलता के एक मधुर लेकिन सम्मानपूर्ण कार्य की तरह लगती है, जो नारीवाद को व्यक्तिगत तिरस्कार के रूप में लेते हैं। लेकिन, ज़ाहिर है, यह सच नहीं हो सकता।

इसलिए, मुझे दिए गए कम समय में, मैं यह समझने की कोशिश करूँगी कि लिंग-संवेदनशील विदेश नीति का क्या अर्थ हो सकता है।

1. **लिंग-संवेदनशील विदेश नीति के क्या तत्व हैं**?

एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति हमारी सोच, हमारी शैली, हमारी संरचनाओं और निश्चित रूप से, हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संबंधों के पुन: उन्मुखीकरण की माँग करती है।

आंतरिक तत्व

मुझे उम्मीद है कि लिंग-संवेदनशील विदेश नीति के बारे में अच्छी खबर यह है कि यह स्वीकार करती है कि लिंग एक वर्णक्रम है, और यह कार्य और पहचान दोनों को संदर्भित करता है। इसलिए, जो बनाएँगे, जो लागू करेंगे और जिनके नाम पर एक लिंग संवेदनशील विदेश नीति बनाई गई है, उन्हें वर्णक्रम के सभी लिंगों से संबंधित होना चाहिए और सम्बंधित देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लिंग संवेदनशील विदेश नीति का पहला तत्व यह हो सकता है कि इसका ब्रहमांड वास्तविक दुनिया की लिंग संरचना के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हो।

एक लिंग लेंस अनिवार्य रूप से इतनी सावधानी से यह देखना बहुत जरूरी बनाता है कि सभी लोगों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं, और उनकी धारणाओं और जरूरतों का संज्ञान लें। दूसरा तत्व यह होना चाहिए कि लैंगिक समानता उस दुनिया का एक प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए, और इस सिद्धांत को, स्थापना के भीतर वेतन की समानता, अवसरों की समानता, महिला राजनयिकों के दोहरे बोझ को ध्यान में रखते हुए

कार्य के पुन: निर्धारण, सभी हाशिए के समूहों - महिलाओं, विभिन्न यौन अभिविन्यास समूहों सहित अल्पसंख्यक लिंगों के लिए स्थापना के भीतर समर्थन प्रणालियों के निर्माण पर सबसे पहले लागू होना चाहिए।

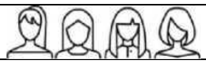

अगर हमें बाहरी विश्वसनीयता बनानी है, तो भारत की राजनीति और नीतियों को आंतरिक रूप से भी लिंग संवेदनशील होना चाहिए।

(उदाहरण के लिए, पति-पत्नी के लाभ और सहयोग का विस्तार करना) और अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ-साथ अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले जाति समूह।

एक तीसरा आंतरिक तत्व विदेश नीति की स्थापना से परे उस देश से संबंधित है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है - हमारे मामले में, भारत। अगर हमें बाहरी विश्वसनीयता बनानी है, तो भारत की राजनीति और नीतियां आंतरिक रूप से भी लिंग संवेदनशील होनी चाहिए। इसके कुछ तत्व निम्न प्रकार हैं :

- हाँ, हमने आईपीसी की धारा 377 को पढ़ लिया है, लेकिन वह केवल शुरुआत थी। जिस तरह से 2019 के ट्रांसजेंडर अधिनियम को, समुदाय के प्रतिनिधियों की चिंताओं पर विचार किए बिना, पारित किया गया था, उससे यह संकेत मिलता है कि राज्य पूरी तरह से लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के प्रति समाज के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है - कि वे अपने स्वयं के जीवन के मामले में विशेषज्ञता नहीं रख सकते हैं,

- 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार के बाद से, राजनेताओं के लिए यौन और लिंग आधारित हिंसा के बारे में बात करना प्रचलन हो गया है। ऐसे बयानों में सख्त कार्रवाई और गंभीर दंड का आह्वान किया जाता है, और निवारक उपायों में सीसीटीवी के माध्यम से गोपनीयता का हनन और सुरक्षा के नाम पर महिला के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध शामिल होते हैं। लिंग और यौन अल्पसंख्यकों की तरह महिलाओं को इस विमर्श में नासमझ बच्चा समझा जाता है - जो अपने लिए निर्णय लेने और अपने सर्वोत्तम हितों का निर्धारण करने में असमर्थ हों ।

- यहाँ तक कि वैसे तो राजनेता, बेटियों को बचाने और बहनों की रक्षा करने के बारे में कर्कशता से चिल्लाते हैं, पर अपने साथियों के घृणास्पद, महिलाओं के प्रति प्रबल पूर्वाग्रहों से युक्त भाषणों की निंदा नहीं करते या इससे भी बदतर यह कि, उन्हें हिंसा के लिए चार्जशीट होने से रोकने को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। इसके लिए हमारा सबसे अच्छा बचाव है "वह झूठ बोल सकती है" या "यह हमारी संस्कृति है।"

वास्तविकता यह है कि एक लिंग-संवेदनशील राजनीतिक संस्कृति बनाने में हमारी विफलता, एक लिंग-संवेदनशील समाज की बात तो छोड़ दें, इस संगोष्ठी में लिंग-संवेदनशील विदेश नीति के पक्ष में व्यक्त करने वाले किसी भी उच्चाकांक्षी वक्ताओं को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। हम अपनी नाकामियों को अपनी अंतरराष्ट्रीय खिड़की की ओर विस्तार करके पर्दा डालते हैं और मौन और इनकार की समान संस्कृति प्रदर्शित करते हैं

लिंग-संवेदनशील विदेश नीति में लैंगिक समानता पर वैश्विक बहसों से पूर्ण जुड़ाव शामिल है।

कि हम अपने घरों में लालन-पालन करते हैं - यह हमारा पारिवारिक मामला है, दुनिया के साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

बहिर्गामी तत्व

मेरा अनुमान है कि एक लिंग -संवेदनशील विदेश नीति में लैंगिक समानता पर वैश्विक बहसों में पूर्ण भागीदारी शामिल है। लैंगिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की चर्चा नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय महिला नेटवर्कों के साथ निरंतर परामर्श के माध्यम से जारी है। लिंग-संवेदनशील विदेश नीति वाला देश समावेशी परामर्श की समान भावना के साथ समान बहस में शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, भारत की विदेश नीति आंतरिक बहस और खुली चर्चा से उत्पन्न होगी जो न केवल पूर्व सरकारी कर्मचारियों के साथ बल्कि अकादमिया, नागरिक समाज, लोगों के आंदोलनों और यहाँ तक कि सामुदायिक टाउन हॉल के साथ थिंक-टैंक से जुडी थी।
एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति का अर्थ मानव अधिकारों और लैंगिक समानता से संबंधित वैश्विक मानदंडों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी होगा। उदाहरण के लिए, भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मलेन (1979) की दो आकस्मिकताओं और एक आरक्षण की घोषणा के साथ पुष्टि की है। व्याख्या के रूप में संस्कृति और बहुलवाद की पेशकश की जाती है। इसने वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है जो महिलाओं को न्याय के लिए सीईडीएडब्ल्यू समिति से सीधे संपर्क करने की अनुमति देता है, जब राष्ट्रीय प्रणाली से उन्हें न्याय नहीं मिलता। कोई वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अपने स्वयं के सिस्टम की विफलताओं के लिए वैश्विक फटकार के रूप में पढ़ सकता है या कोई व्यक्ति न्याय के अधिकार को प्राथमिकता दे सकता है, यहाँ तक कि अपने हित में कुछ संप्रभुता का व्यापार भी कर सकता है। इसका उत्तरार्द्ध एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति का विकल्प होगा।

एक नारीवादी विदेश नीति राजनयिक समस्याओं के सैन्य समाधान को त्याग देगी। मैं यह कहने का साहस करूँगी कि क्योंकि सैन्यवाद और सैन्यीकरण सभी लिंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति भी ऐसा ही करेगी। इसलिए, विदेश नीति के उपकरण के रूप में

हथियारों की बिक्री, सैन्य गठबंधन और निश्चित रूप से, हथियारों की दौड़ को मानवीय या विकास सहायता, या व्यापार की तुलना में कम अनुकूल माना जाएगा।

एक लिंग लेंस, मनुष्य को हमारे ध्यान के केंद्र में रखता है, और एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति भी ऐसा ही करेगी। केवल मानव और मानवीयता

एक लिंग लेंस, मनुष्य को हमारे ध्यान के केंद्र में रखता है, और एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति भी ऐसा ही करेगी। मानव और मानवीयता हमारी नीति के केंद्र में होंगे

भारत को लिंग-संवेदनशील विदेश नीति क्यों अपनानी चाहिए? इस प्रश्न का मेरा उत्तर बहुत सरल है कि यही करना सही होगा ।

यही हमारी नीति के केंद्र में होगा - चाहे फँसे हुए प्रवासी भारतीयों के संबंध में हो या हमारे दरवाजे पर शरणार्थियों के संबंध में ।

और सीमा विवाद और बढ़ते शस्त्रागार और विश्वासघाती पड़ोसियों का क्या ? पुरानी विचारधारा के लोग यह पूछ सकते हैं । उन समस्याओं पर एक जेंडर लेंस यह सुझाव दे सकता है कि उन्हें न बदलने का खामियाज़ा उनके माध्यम से पैंतरेबाज़ी करने के फायदों से अधिक होगा । एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति आधिकारिक और गैर-आधिकारिक संवाद को प्राथमिकता देगी; विश्वास-निर्माण कार्यक्रमों को सक्षम करेगी जिसके माध्यम से विभिन्न मतदाता परस्पर बातचीत कर सकते हैं, और संघर्ष परिवर्तन के लिए परिस्थितियों को बनाने के लिए त्वरित तरीके से कार्यात्मक और तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी ।

2. **भारत को लिंग-संवेदनशील विदेश नीति क्यों अपनानी चाहिए**?

इस प्रश्न का मेरा उत्तर बहुत सरल हैं कि यही करना सही होगा। सभी लिंग, आक्रामक, राष्ट्रवादी, आत्म-उन्नयन करने वाली विदेश नीतियों के लिए भारी कीमत चुकाते हैं जो कामुक बयानबाजी के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं और रूढ़िवादी लिंग भूमिका निभाने वाले लोगों पर निर्भर करती हैं। किसी को वास्तव में लाभ नहीं होता है, सम्बंधित राज्यों में भी शायद ही कभी। इसलिए लिंग-संवेदनशील विदेश नीति का उद्देश्य सामान्य समस्याओं के निष्पक्ष, समान रूप से लाभप्रद समाधान के माध्यम से शांति बनाए रखना होगा। न्यायसंगत और न्यायोचित शांति की तलाश ही सही रास्ता है।

लेकिन इस तरह के नीति अभिमुखता को विश्वसनीय बनाने के लिए, किसी भी देश को और भारत को भी उस नीति को विश्वसनीय बनाने के लिए एक यथेष्ट आंतरिक सामाजिक परिवर्तन से गुजरना होगा। मेरे विचार से, दस या बीस साल पहले की तुलना में आज इसकी संभावना कम है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब हम किसी बलात्कारी से उसकी पीड़िता से शादी करने के लिए कहते हैं; हर बार जब हम एक दुर्व्यवहार करने वाले को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित करते हैं, हर बार जब हम महिला मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों को देशद्रोही बताते हुए तिरस्कृत करते हैं और हर बार, जब हम सार्वजनिक जीवन में

अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए ट्रांसफोबिक या होमोफोबिक शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हम एक लिंग-संवेदनशील राजनीति, विदेश नीति की बात तो छोड़िए, के विश्वसनीय समर्थक होने से और दूर चले जाते हैं।

राजदूत निरूपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	स्वर्णा, इतनी मर्मज्ञ टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। मैं स्वर्णा का परिचय कराते समय यह उल्लेख करना भूल गई थी कि वह चेन्नई में एक ट्रस्ट और एक कंसल्टेंसी चलाती है। ट्रस्ट को प्रज्ञा ट्रस्ट कहा जाता है और कंसल्टेंसी को चैतन्य कहा जाता है जो शिक्षा, वकालत नेटवर्किंग में काम करता है, इसलिए वह उन मुद्दों पर अद्भुत आधारभूत कार्य कर रही है जो आज की हमारी चर्चा में हमारे चिंतन के विषय हैं।

एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति केवल मधुर और श्रद्धापूर्ण नहीं है, इसका अर्थ उससे कहीं अधिक है। यह एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम है जो स्पेक्ट्रम के पार सभी लिंगों से संबंधित है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वास्तविक दुनिया की लिंग संरचना और लैंगिक समानता हमारी विदेश नीति के निर्माण में एक प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए।

स्वर्णा ने इस तथ्य के बारे में बात की कि एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति केवल मधुर और श्रद्धेय नहीं है, इसका अर्थ उससे कहीं अधिक है। यह एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम है जो स्पेक्ट्रम के पार सभी लिंगों से संबंधित है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वास्तविक दुनिया की लिंग संरचना और लैंगिक समानता हमारी विदेश नीति के निर्माण में एक प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन एक देश के रूप में अगर हमें बाहरी विश्वसनीयता हासिल करनी है, तो आंतरिक घरेलू नीतियां भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विदेश नीति के निर्माण में बाधा डालते हैं और हमें रूढ़ियों को त्यागना होगा, हमें महिलाओं के लिए आजीविका को महत्वपूर्ण समझना होगा, हिंसा की रोकथाम, निस्संदेह हमें मौन और इनकार की संस्कृति को हटाना होगा और साथ ही हमें देश भर में, सार्वजनिक भागीदारी के साथ, नागरिक समाज और समुदाय के भीतर आंतरिक बहस, एक सतत संवाद की जरूरत है, टाउनहॉल की भागीदारी, मानवाधिकारों के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता, भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और संघर्ष के समाधान को दिल से लेना क्योंकि सैन्यवाद सभी लिंगों को प्रभावित करता है, हिंसा हम सभी को प्रभावित करती है और मानव को केंद्र में रखती है - और मुझे लगता है यह मनुष्य को केंद्र में रखने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है - उस अन्योन्याश्रयता का निर्माण करना जो कि करना सही है। आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद स्वर्णा!

अब मैं डॉ. स्वाति पाराशर को, जो गोथेनबर्ग सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की निदेशक हैं और स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, को उनकी टिप्पणी रखने के लिए आमंत्रित करूँगी । स्वाति का शोध नारीवाद और उपनिवेशवाद के बाद के अंतर्संबंधों से जुड़ा है, यह दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में हिंसा, शांति और विकास के मुद्दों पर केंद्रित है; वह कई पुस्तकों और जर्नल लेखों की लेखिका और संपादक हैं। मैं उन्हें अपनी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ ।

डॉ. स्वाति पाराशर	अद्भुत परिचयात्मक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद, राजदूत राव, और

(निदेशक, गोथेनबर्ग सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट (जी सी जी डी), गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, स्वीडन):	आईसीडब्ल्यूए को मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपने काम में बार-बार जोर दिया है, कि हमें सरलीकृत शब्दावली अपनाने के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है, इस अवसर पर नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी)। मेरी समझ में, पश्चिम में सरकारों को किस प्रकार की चिंताएँ हैं, और वे लैंगिक समानता और अन्य नारीवादी उद्देश्यों जैसे कि एफएफपी, के लिए संसाधनों को कैसे निर्देशित करती हैं, इसकी लगातार जाँच करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नारीवादी एकजुटता का निर्माण करने के लिए बहुत काम की आवश्यकता है और

हम एक शब्द के रूप में नारीवाद के साथ 'अपनापन' महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बाहर न करना महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि वे नारीवादी हैं। वे नारीवाद के लिए आधारभूत कार्य कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी शब्दावली को अपनाएँ और उन बारीकियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

केवल ब्रांडिंग या नारेबाजी नहीं। गौर करें कि सेंटर फॉर फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी ने इस महीने के अंत में होने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख वैश्विक दक्षिण नारीवादियों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है कि 'हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नारीवादी विदेश नीति साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक पैटर्न को प्रतिबिंबित नहीं करती है'। यह इस समझ से आता है कि एफएफपी के बारे में पहले से ही असुविधा मौजूद है, और इसे उन सभी समस्याओं के लिए रामबाण के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका सामना दुनिया के 'अन्य हिस्सों' में लोगों को करना पड़ रहा है। इस प्रस्तुति में, मैं भारत की लिंग आधारित नारीवादी विदेश नीति को एक ऐतिहासिक, उत्तर-औपनिवेशिक संदर्भ में रखने की कोशिश करती हूँ।

आप 'दक्षिण एशिया' की भौगोलिक और सांस्कृतिक कल्पनाओं के बिना भारत में नारीवाद के बारे में बात नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में नारीवाद सीमाओं के माध्यम से पुलिसिंग से इनकार करता है, और यह बहुत समृद्ध, बनावट वाला और यहाँ तक कि विवादास्पद भी है। हमारे पास स्वदेशी नारीवादी आंदोलन हैं, और मजबूत पश्चिमी प्रभाव वाले भी हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक समाज की भागीदारी वास्तव में मजबूत रही है, और वास्तव में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में हम 'नारीवादी आंदोलनों' से अधिक 'सामाजिक सुधार आंदोलनों' और 'महिला आंदोलनों' की भाषा का उपयोग करते हैं। हम एक पद के रूप में नारीवाद के साथ 'अपनापन' महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बाहर नहीं कर देना महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि वे नारीवादी हैं। वे नारीवाद के लिए आधारभूत कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा अपनाई जा रही किसी भी शब्दावली के बावजूद और उन बारीकियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

भारतीय राजनीति के एक छात्र के रूप में, मैं एक लिंग संवेदनशील भारतीय विदेश नीति के बारे में पूछे जाने का जवाब यह कहकर दूँगी कि यदि हम वापिस इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम पाएँगे कि लिंग संवेदनशील विदेश नीति के इतने सारे तत्व, या जिसे प्रभावी रूप से नारीवादी विदेश नीति, कहा जा रहा

है, वहाँ कई रंगों में मिलते हैं । तो, इसके मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं? मैं यह सुझाव नहीं दे रही हूँ कि इसे जानबूझकर नारीवादी आदर्शों के साथ अवधारणाबद्ध किया गया था, या यह कि इसमें हमेशा लैंगिक समानता अंतर्निहित थी। हालाँकि, जिस तरह से हमने अपनी और दुनिया के साथ अपने संबंधों की कल्पना की है, मुझे लगता है कि वह स्वतंत्रता के बाद से हमारी विदेश नीति के दृष्टिकोण में गहराई से परिलक्षित होता है। भारतीय विदेश नीति का विमर्श, कुछ अर्थों में, भारत की सभ्यतागत पहचान से व्युत्पन्न, स्वयं की गहरी अंतर्निहित भावना की एक बाहरी अभिव्यक्ति है। हम इस बारे में अंतहीन बहस कर सकते हैं कि इन दिनों इसमें क्या शामिल हो सकता है या क्या नहीं, लेकिन कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हम भारतीय मानते हैं - सार्वभौमिक भलाई, कमजोरों की सहायता करना, संसाधनों को साझा करना, पीड़ितों के लिए करुणा, सभी के लिए न्याय, और बहुत कुछ।

क्योंकि हमने आम तौर पर अपनी विदेश नीति में 'सॉफ्ट पावर' की नैतिक, गैर-मजबूत और अधिक दीर्घकालिक दृष्टि का अनुसरण किया है, लिंग संवेदनशीलता ने शायद अप्रत्याशित रूप से या हमेशा जानबूझ कर नहीं, कुछ प्रकार की राजनयिक प्रथाएँ बताई हैं ।

यह सभ्यतागत पहचान, जिसने नेहरूवादी युग से भारत की विदेश नीति को आकार दिया है, दीर्घकालिक दृष्टिकोणों और घरेलू शासन प्राथमिकताओं में परिलक्षित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि हमने आम तौर पर अपनी विदेश नीति में 'सॉफ्ट पावर' की नैतिक, गैर-मजबूत और अधिक दीर्घकालिक दृष्टि का अनुसरण किया है, लिंग संवेदनशीलता ने शायद अप्रत्याशित रूप से या हमेशा जानबूझ कर नहीं, कुछ प्रकार की राजनयिक प्रथाएँ बताई हैं । बेशक हमने आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई गलतियाँ की हैं, जिसके लिए हम अपने कई नेताओं और निर्णय निर्माताओं को जवाबदेह ठहराते हैं। एक बार फिर यह चेतावनी है कि प्रत्यक्ष सार्वजनिक आलोचना, जो व्यक्तियों को आहत करती है, की तुलना में चीजों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है। गलतियाँ हुई हैं, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम विदेश नीति का खाका उस संदर्भ में खींचना शुरू करें जो हमने वास्तव में किया है और हासिल किया है, और सबसे बढ़कर इसकी निरंतरता विभिन्न सरकारों और सत्ता में रहने वाले भिन्न नेताओं के बीच रहती है।

नारीवाद प्रचलित शक्ति संबंधों, पदानुक्रमों और 'सत्य के शासन' को लिंग के लेंस से जाँचने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक है। बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय विदेश नीति ने कई बार अपनी कई नीतियों में नारीवाद की मान्यताओं, विचारों और विश्वासों को अपनाया है। लैंगिक समानता भले ही इन नीतियों का अंतिम लक्ष्य न रही हो, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से न्याय और करुणा के मूल्यों को भीतर और बाहर की शांति के लिए एक नैतिक आवश्यकता के रूप में मूर्त रूप दिया है।

भारतीय विदेश नीति की वंशावली का पता लगाने में, मैं अपने पहले प्रधान मंत्री, पं. नेहरू की ओर जाती हूँ, जो आज बहुत बदनाम हैं। राष्ट्रीय हितों, शक्ति की प्रकृति और सीमाओं, सत्ता के घटकों और उनके समय में किस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, के बारे में उनकी बहुत उदार दृष्टि को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सर्वदेशीयता की कल्पना की जिसमें भारत की, विशेष रूप से अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के बीच, एक प्रमुख भूमिका होगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने

जो कुछ भी कल्पना की थी वह अंततः सफल हो सकती है - तथापि प्रारंभिक उत्तर औपनिवेशिक विदेश नीति की उस अवधि में मेरे सामने दो चीजें स्पष्ट आती हैं। एक 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' है जिसके बारे में हम इन दिनों बहुत बात करते हैं और आलोचना करते हैं, वास्तव में यह समझे बिना कि उस समय यह क्यों आवश्यक था। माओ और नेहरू दोनों, और आप अकेले भारत के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि बगल में बड़ा पड़ोसी था, उनका मानना था कि उनके देशों को यूरोपीय लोगों से अपमान का सामना करना पड़ा था। कुछ तो इसलिए, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उपनिवेश और उत्पीड़कों के बीच सबसे बड़े अंतर के रूप में उद्धृत किया गया था।

भारतीय विदेश नीति ने कई बार अपनी अनेक नीतियों में नारीवाद की मान्यताओं, विचारों और विश्वासों को अपनाया है।

गुटनिरपेक्षता, यह या वह के दोहरेपन को अस्वीकार करने के शास्त्रीय नारीवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की नेहरूवादी दृष्टि, इस विश्वास में टिकी हुई थी कि भारत अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ठहराव से बाहर निकल सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए भविष्य बना सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अभियान था जिसे शुरू किया गया था और हमें इसका श्रेय देना चाहिए जहाँ यह देय है। एक विदेश नीति लक्ष्य के रूप में विकसित दुनिया के साथ सामाजिक आर्थिक समानता हासिल करने की सोच, उन तरीकों के बारे में विचार जिसमें हम अपनी परंपराओं की जाँच और आलोचना कर सकते हैं, और सभ्यता की विरासत में गर्व की भावना के साथ अन्धकारवाद पर तर्कसंगतता अपनाने के लिए (जो नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विस्तार से बताया) बहुत खास था। यह एक नाजुक संतुलन था जिसे भारत को राष्ट्रों के समुदाय में संसर्ग करने के लिए हासिल करने की आवश्यकता थी। इसलिए उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण थे।

दूसरा विचार जो उस युग में सामने आया वह था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता, यह या वह, दोहरेपन को अस्वीकार करने के शास्त्रीय नारीवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे लगता है कि यह दुनिया की प्रमुख विचारधाराओं, शक्ति ब्लॉकों, हथियारों की दौड़ और अंततः आधिपत्य से परे दुनिया की कल्पना करने में काफी नवीन था, जिसका राजदूत राव ने भी उल्लेख किया। निःसंदेह हमने अपने उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास में किसी न किसी प्रकार के गुटनिरपेक्षता का पालन किया है, जिसमें बड़ी शक्ति व्यवस्थाओं को संतुलित किया गया है। एक अवधारणा के रूप में, गुटनिरपेक्षता नारीवादी आदर्शों, सिद्धांत और व्यवहार का प्रतिबिंब थी। इसने दीर्घकालिक वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कल्पना करना भी गलत था।

राजनीति के विभिन्न रंगों को पहचानना, और चरम रूप से निर्णयात्मक न होना बहुत महत्वपूर्ण है, और जबकि अन्य पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन वे दोनों प्रमुख रूप से हमारे द्वारा अपनाई गई लैंगिक विदेश नीति के हिस्से के रूप में सामने आते हैं। फिर इंदिरा गांधी युग आया (समय विस्तृत विश्लेषण की अनुमति नहीं देता) जब उन्होंने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की धुरी पर कब्जा कर लिया, खासकर

बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान (उपमहाद्वीप के इतिहास में एक प्रचंड घटना जिसकी 50 वीं वर्षगांठ हम इस साल मनाते हैं) उनके कार्य मानवीय चिंताओं से प्रेरित थे न कि पूरी तरह से भू-राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित थे । यह स्पष्ट है, और उस युग के अभिलेखागार से पता चलता है कि पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ जो हो रहा था, उसे लेकर बहुत चिंताएँ थीं। इंदिरा गांधी ने इसे विभिन्न मंचों पर व्यक्त किया, भारत की ओर से मानवीय संकेत के रूप में सैन्य हस्तक्षेप के लिए जोश से तर्क दिया। किसी भी तरह की गंभीर सौदेबाजी या दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना 90,000 युद्धबंदियों को पाकिस्तान लौटाना भी विश्वास और द्विपक्षीयता की राजनीति को दर्शाता है जिसे वह शायद एक कटु, उग्र और पराजित पड़ोसी के साथ संबंधों में आवश्यक समझती थी।

मुझे कभी भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने रूस द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण को वास्तव में अच्छी तरह से संभाला था। खान अब्दुल गफ्फार खान कई मौकों पर उनके पास आए और तत्कालीन विदेश सचिव, जे.एन. दीक्षित के संस्मरणों में उन कठिन वार्तालापों का उल्लेख है। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध की पेशकश के रूसियों को अफगान लोगों पर क्रूर आक्रमण से दूर हो जाने की अनुमति दी। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति में हमने जिन सबसे अधिक शक्तिशाली नीतियों का पालन किया या शायद अपनाया वह तब, जब एक महिला प्रधान मंत्री सत्ता में थीं। अपने स्वयं के पिता, जो नरम थे और भोलेपन और निराशाजनक आदर्शवाद के आरोपी थे, के विपरीत इंदिरा गांधी एक आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों थीं। उस संदर्भ में श्रीलंका में लिट्टे को उनके समर्थन पर भी चर्चा की जा सकती है - जो आदर्शवाद और कठोर यथार्थवाद का मिश्रण था ।

फिर, इंदिरा गांधी और वर्तमान के बीच के अंतराल की अवधि को देखें - अस्पष्टता का दौर, और संतुलन या बैंड-वैगनिंग के बजाय एक मध्यम मार्ग की निरंतर खोज जैसा कि यथार्थवादी कहेंगे । शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही हम पहले ही विचारमूलक संरक्षक खो चुके थे, और फिर हमने 1990 के दशक से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के एक नए चरण में प्रवेश किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को विकसित करने के लिए पीएम राव के समय में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' पर ध्यान केंद्रित करना, और बहुत बाद में, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा शुरू की गई 'एशिया की ओर' के प्रति उदासीनता बड़ी शक्तियों के साथ गुटनिरपेक्षता और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के अन्य उदाहरण हैं। भारत को, विशेष रूप से 'एशिया की ओर' में धुरी का केंद्र होना ही था, लेकिन यह उल्लेखनीय था कि हमने इस क्षेत्र में अमेरिकी दबाव और उपस्थिति को कैसे दूर रखा ।

मैं यहाँ राजदूत, राव को उद्धृत करूँगी जिन्होंने उस समय (एशिया की धुरी) के लिए अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कहा था कि "एशिया प्रशांत के ऐतिहासिक संबंध भू-राजनीतिक या भू-आर्थिक से अधिक थे, यह एक भू-सभ्यतागत प्रतिमान, घूमने वाले दरवाजों के साथ एक रचनात्मक स्थान है जहाँ सभ्यताएँ मिलती हैं और टकराती नहीं हैं। "हम उसे अपने भविष्य के लिए एक अनुमानित मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, इसलिए कुछ अर्थों में जो जारी है, उन कुछ चीजों में परिलक्षित होता है जिन्हें हमने हासिल किया है और जिनके बारे में सोचते हैं।"

वर्तमान मोदी युग में, अद्वितीयता के तमाम प्रचारों, सभ्यतागत आख्यानों के आह्वान और नेहरूवादी नीतियों की आलोचना के बावजूद, कुछ अर्थों में गुटनिरपेक्षता अभी भी जीवित है। हम अमेरिका, चीन,

रूस जैसी बड़ी शक्तियों को संतुलित करने के लिए बहुत सावधान रहे हैं और निश्चित रूप से हम 'क्वाड' के आसपास कई दिलचस्प घटनाक्रम देख रहे हैं। अन्य बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध
'वैक्सीन कूटनीति ' भी विदेश नीति के प्रति हमारे लैंगिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, जो दुनिया के गरीब और छोटे देशों, भूटान, गुयाना, जमैका तक पहुँचती है।

हमारी विदेश नीति एक लिंग भाषा को दर्शाती है। इस विचार को स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय हितों की सबसे अच्छी सेवा संचयी हितों और राष्ट्रों के समुदाय की भलाई से होती है जो एक वैश्विक परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम) की तरह है।

जैसे जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और हमारी पड़ोस की कूटनीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। वैक्सीन कूटनीति भी विदेश नीति के प्रति हमारे लैंगिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, जो दुनिया के गरीब और छोटे देशों, भूटान, गुयाना, जमैका तक पहुँचती है। हमने प्रदर्शन पर बहुत सारी क्रियात्मक राजनीति और फोटो-विकल्प के अवसरों को देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सॉफ्ट पावर वैश्विक राजनीति में एक बड़ी शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छा में प्रदर्शित होती है।

मैं विदेश नीति में 'महिलाओं' से आगे बढ़ना चाहती हूँ (पहले से ही स्वर्णा द्वारा संबोधित) ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि हमारी विदेश नीति एक जेंडर भाषा को दर्शाती है। इस विचार को स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय हितों की सबसे अच्छी सेवा संचयी हितों और राष्ट्रों के समुदाय की भलाई से होती है जो एक वैश्विक परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम) की तरह है। कहीं न कहीं हम बच गए हैं, इस विश्वास के कारण कि बहुत संकीर्ण, स्वार्थी, आत्म-उन्नयन के लक्ष्य बहुत फायदेमंद नहीं हैं, वे केवल सीधे युद्ध की ओर ले जाते हैं। और हमने सत्ता की बहुत बारीक समझ को भी अपनाया है, जहाँ हमने न केवल द्विध्रुवीय संदर्भ से दूर रहने की कोशिश की है, बल्कि हमने अपने कठिन पड़ोसियों के साथ भी सम्बन्ध बनाने की कोशिश की है। हो सकता है कि हमने उस प्रक्रिया में अपनी खुद की आधिपत्य की स्थिति के बारे में धारणाएँ बनाई हों, और यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम नजर रख सकते हैं

अंत में, मैं विदेश नीति हलकों में प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता के मुद्दे पर जोर देना चाहूँगी: हमें यह पूछताछ करने की आवश्यकता है कि क्या सुरक्षा, विदेशी सेवाओं आदि पर हमारी कैबिनेट समिति अधिक महिलाओं को शामिल करने के हमारे मूल मूल्यों को दर्शाती है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हमें प्राथमिकता देनी होगी। नारीवादियों के रूप में हम यह तर्क न देने के लिए भी सावधान हैं कि महिलाओं को सत्ता के स्थानों पर रखने का मतलब एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया का उदय होगा जिसकी आलोचना की गई है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। फिर भी, निर्णय लेने में महिलाओं को

बाहर करने का भी यह तर्क नहीं है, और शायद यह जोर देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि महिलाओं के पास यह अद्वितीय अनुभव हैं और वे इन्हें लाती हैं

नारीवादियों के रूप में हम यह तर्क न देने के लिए भी सावधान हैं कि महिलाओं को सत्ता के स्थानों पर रखने का मतलब है कि एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया उभरेगी - यह ऐसी चीज है जिसकी आलोचना की गई है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। फिर भी, निर्णय लेने में महिलाओं को बाहर करने का भी यह तर्क नहीं है।

इसलिए। इस बारे में एक तर्क दिया जाता है कि हमें और अधिक महिलाओं और उनकी विशिष्टता के रंगों को देखने की आवश्यकता क्यों है। सुषमा स्वराज के साथ हमने वह देखा। जब चीजें वास्तव में खराब चल रही थीं, विदेश मंत्री के रूप में, उन्होंने अनुकरणीय देखभाल और करुणा दिखाई।

हमें इस रूढ़िवादिता से बचना चाहिए कि जब हम महिलाओं को लाते हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने जा रहे हैं। मतभेदों के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, विभिन्न दृष्टिकोण जो महिलाएँ लाएँगी और क्यों और किस तरह की लैंगिक समानता बहुत आवश्यक है। अंत में, मैं इस विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें 'दक्षिण एशिया' के आम लोगों के बारे में सोचना होगा जिस पर राजदूत राव ने भी बात की। सबसे बड़ी समस्या, इसमें बाधा यह है कि हम इसकी कल्पना कैसे करते हैं, भारतीय आधिपत्य को कैसे समझा जाता है और हम कैसे रिक्त स्थान पर कब्जा करते हैं। मैं विदेशों में कई दक्षिण एशियाई सम्मेलनों में भाग लेती हूँ जहाँ भारत और वक्ताओं सहित सभी भारतीय चीजों का वर्चस्व है (फरवरी में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर एलएसई दक्षिण एशिया पैनल पर विचार करें जिसमें 5 भारतीय, 2 श्वेत विद्वान और केवल एक बांग्लादेशी थे!) या रूटलेज हैंडबुक जो अभी दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद पर सामने आई है, जिसमें सभी योगदानकर्ता भारत से या भारतीय मूल के हैं। विदेशों में और भारत में विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों में भी इसे व्यापक रूप से नोटिस किया जा रहा है। मैं 2016 में सीएसडीएस में विजिटिंग फेलो थी, वहाँ पीएचडी उम्मीदवारों सहित युवा शोधकर्ताओं के लिए दक्षिण एशिया पर एक कोर्स था। अल्लामा इकबाल के अलावा हमने पड़ोस में कहीं से कुछ नहीं पढ़ाया।

मैं इस क्षेत्र में संगीतमय सद्भाव पैदा करने के इस काम को करने के लिए राजदूत राव की सराहना करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा और क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को सीमाओं

से परे एक दीर्घकालिक परियोजना के रूप में पहचाना जाएगा। इसके साथ, मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, और आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं । आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

राजदूत निरुपमा मेनन राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद स्वाति, यह बहुत ही रोचक परिभाषा लाने के लिए धन्यवाद कि नारीवादी दृष्टिकोण ने मूल रूप से हमारी विदेश नीति को कैसे सूचित किया और एक अंतर्धारा प्रदान की, जिसे हमने अनजाने में अनैच्छिक रूप से अवशोषित किया और कभी नहीं ।

मतभेदों के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, विभिन्न दृष्टिकोण जो महिलाएँ लाएँगी और क्यों और किस तरह की लैंगिक समानता बहुत आवश्यक है।

सब जानते थे। यह इस विषय पर आपकी बहुत ही रचनात्मक टिप्पणियों से भरपूर रोचक सामग्री है और मुझे आशा है कि वक्ताओं द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ समाप्त करने के बाद हमारे लिए उपलब्ध समय में हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। तो अब मैं अपने अगली वक्ता डॉ सौमिता बसु के पास जाना चाहूँगी, वह नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायक प्रोफेसर हैं। हम दक्षिण एशियाई उद्गम की बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अद्भुत उद्यम है और अनिवार्य रूप से यह व्यक्त करने का प्रयास करता है कि दक्षिण एशिया एक पूर्णांक है, और हम उस संदर्भ में एक को कई से अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैं सौमिता को अपनी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करूँगी। धन्यवाद।

डॉ सौमिता बसु (सहायक प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)	धन्यवाद, राजदूत राव। आईसीडब्ल्यूए को भी धन्यवाद , विशेष रूप से डॉ अंकिता दत्ता को इस पैनल चर्चा के आयोजन के लिए धन्यवाद। सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे साथी पैनलिस्टों ने कई मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की हैं, और मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खुशी हो रही है। मेरा संक्षिप्त विवरण महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडे और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ भारत के जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं कुछ बिंदुओं के साथ शुरुआत करना चाहूँगी जो इस विषय पर मेरी टिप्पणियों की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे।

सबसे पहले, हम एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में लिंग-संवेदनशील विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं जो तेजी से इस बात पर ध्यान दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में लिंग मायने रखता है, अगर हमेशा कर्मों में नहीं तो शब्दों में तो रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निश्चित रूप से स्पष्ट है, जिसमें 'महिलाएँ और शांति और सुरक्षा' पर दस संकल्प हैं जो डब्ल्यूपीएस एजेंडे के केंद्र में हैं; इस विषय पर नियमित रूप से खुली बैठकें होती हैं; और, पिछले कुछ वर्षों में, 86 सदस्य राज्यों ने डब्ल्यूपीएस प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित की हैं। ऐसे परिदृश्य में लिंग की बात करना समझ में आता है।

दूसरा, मैं यह नोट करना चाहूँगी कि कोई भी आवश्यक रूप से नारीवादी हुए बिना लिंग-संवेदनशील हो सकता है। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में लिंग-संबंधी विद्वता में देखते हैं: विद्वान लिंग को एक चर के रूप में पहचान सकते हैं (और अपने शोध में महिलाओं, पुरुषों और अन्य की गणना करते हैं), लेकिन

नारीवादी सोच के परिवर्तनकारी आयाम से प्रेरित नहीं होते हैं। इसलिए, जैसा कि आज हम लिंग-संवेदनशील विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर विचार करना उपयोगी होगा कि भारत ऐसी विदेश नीति से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता है या क्या उम्मीद कर सकता है।

तीसरा और अंत में, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, यह राष्ट्रीय हित और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के बीच संतुलन खोजने की बात है। जबकि हम डब्ल्यूपीएस एजेंडा और महिलाओं के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनी ढांचे के साथ जोड़ते हैं, सबूत बताते हैं कि ये राज्यों के हित में भी हैं। वैलेरी हडसन एट अल ने राष्ट्रीय के बीच संबंधों का प्रदर्शन किया है

कोई नारीवादी हुए बिना भी लिंग-संवेदनशील हो सकता है।

महिलाओं, शांति और सुरक्षा के एजेंडे ने वास्तव में फिर से उड़ान भरी है, भले ही हमेशा व्यवहार में नहीं पर शब्दों में तो
देश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ सुरक्षा और स्थिरता।[3] राधिका कुमारस्वामी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 पर 2015 के वैश्विक अध्ययन ने शोध का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया है कि:

अन्य तत्वों को नियंत्रित करते समय, शांति प्रक्रियाओं में गवाहों, हस्ताक्षरकर्ताओं, मध्यस्थों और/या वार्ताकारों के रूप में महिलाएँ शामिल थीं, उन्होंने कम से कम दो वर्षों तक चलने वाले शांति समझौते की संभावना में 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रदर्शन किया। 15 वर्षों तक चलने वाले शांति समझौते की संभावना में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह प्रतिशत समय के साथ बढ़ता है।[4]

इसलिए फिर से, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सदस्य देशों के लिए यह बुद्धिमानी है कि वे अपने लैंगिक आयाम को गंभीरता से लें।

उसी समय, हालाँकि, राष्ट्रीय हित और नारीवादी नीतियों के रूप में पहचाने जाने वाले के बीच एक डिस्कनेक्ट हो सकता है। हम इसे स्वीडन और फ्रांस दोनों के मामले में देखते हैं, जहाँ उनके हथियारों का निर्यात क्रमशः उनकी नारीवादी विदेश नीति और नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता नीति के विपरीत था। यहाँ सैन्यीकरण का एक व्यापक बिंदु है जो नारीवाद के शांतिवादी पहलुओं के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि वे घातक संघर्षों में शामिल देशों को हथियार बेच रहे हैं, जिन्होंने नागरिक जीवन पर कहर बरपाया है, और उनके लिंग संबंधी निहितार्थ हैं। तो, सवाल यह है कि हम हितों के इन दो प्रतिस्पर्धी मूल्यों को मिला कैसे सकते हैं? यह डॉ. राजगपोलन द्वारा उठाए गए मुद्दों से भी संबंधित है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं अब आगे डब्ल्यूपीएस और सुरक्षा परिषद पर विशेष रूप से चर्चा करूँगी। ये टिप्पणियाँ उस शोध पर आधारित हैं जो अक्टूबर 2020 में आईसीडब्ल्यूए वेबिनार में प्रस्तुत किए गए एक पेपर के लिए आयोजित किया गया था, जिसका एक हिस्सा उन बयानों का अध्ययन करना था जो भारत ने पिछले बीस वर्षों में डब्ल्यूपीएस से संबंधित खुली बैठकों में सुरक्षा परिषद में दिए हैं।[5] डब्ल्यूपीएस पर पहले ही संदर्भ मिल चुके हैं। यदि यह एक अपरिचित संक्षिप्त नाम है, तो मैं यह जोड़ना

चाहूँगी कि डब्ल्यूपीएस एजेंडा अक्टूबर 2000 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के पारित होने से पहले का है। इस प्रस्ताव ने शांति निर्माण और संघर्ष की रोकथाम में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता दी और प्रोत्साहित किया, और संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का आह्वान किया। जैसा कि शायद पहले की प्रस्तुतियों से स्पष्ट है, महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे ने वास्तव में उड़ान भरी है, भले ही हमेशा व्यवहार में नहीं, फिर भी शब्दों में तो ।

3 हडसन, वैलेरी एम। बोनी बेलीफ-स्पैनविल, मैरी कैप्रियोली, और चाड एफ। एम्मेट (2014) सेक्स एंड वर्ल्ड पीस, न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस,

4 कुमारस्वामी, राधिका, एट अल। (२०१५) संघर्ष को रोकना, न्याय को बदलना। सिक्योरिंग द पीस: ए ग्लोबल स्टडी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325। न्यूयॉर्क: यूएन वूमेन, ऑनलाइन, http://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStijdy_EN_Web.pdf पर; पीपी41-42.।

५ इन टिप्पणियों का एक विस्तारित संस्करण विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले एक संपादित खंड में आ रहा है।

यहाँ यह जोड़ना सटीक है कि कुछ टिप्पणीकारों ने नारीवादी विदेश नीति और डब्ल्यूपीएस के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है; विदेश नीति में प्रकाशित 2014 के एक लेख में नारीवादी विदेश नीति को एक 'परिप्रेक्ष्य जो संकल्प 1325 से प्रवाहित होता है' के रूप में वर्णित किया गया है।[6]

सुरक्षा परिषद में डब्ल्यूपीएस के साथ भारत के जुड़ाव से संबंधित तीन बिंदु जिन पर मैं यहाँ ध्यान केंद्रित कर रही हूँ : भारत इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है।

पहले बिंदु पर, यह काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि डब्ल्यूपीएस पर भारत का रुख 'बाहरी उन्मुख' रहा है, अर्थात इसके हितों ने एजेंडा के व्यापक मानक अभिविन्यास और उन स्थितियों में संकल्पों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों के रूप में पहचाना जाता है। संयोग से जनवरी 2011 में एक निर्वाचित परिषद सदस्य के रूप में अपना सातवाँ कार्यकाल शुरू करने से ठीक पहले भारत ने 2009-2010 की अवधि के दौरान तीन डब्ल्यूपीएस प्रस्तावों को सह-प्रायोजित किय,; ये संकल्प 1888, 1889 और 1960 हैं। अपने 2011-2012 के कार्यकाल के दौरान, इसने दो बार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जब इसने नवंबर 2012 में दूसरी अध्यक्षता की, तब भारत ने डब्ल्यूपीएस पर एक खुली बैठक बुलाई, जो उल्लेखनीय है; अगस्त 2011 में अपनी पहली अध्यक्षता के दौरान, खुली बैठक में शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

डब्ल्यूपीएस से संबंधित बैठकों में अपने स्वयं के बयानों में, भारत ने एजेंडा के कई पहलुओं को छुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संबंध में इसका अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शांति स्थापना पर ध्यान देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना के सर्वोच्च योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, इसने खुद को इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में स्थापित किया है। लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में महिला गठित पुलिस इकाई की तैनाती सर्वविदित है। लेकिन, भारत ने 'संरक्षण' स्तंभ में भी रुचि दिखाई है।

लाइबेरिया में महिला शांतिरक्षकों की सफलता, और उनके प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ध्यान आकर्षित किया, इस पर भारत और अन्य सदस्य राज्यों द्वारा सुरक्षा परिषद में दिए गए कई बयानों पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से, 'एफएफपीयू की तैनाती के लिए दिए गए प्रमुख कारणों में से एक संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना था'।[7] हाल ही में, भारत ने 'पाइपलाइन

टू पीसकीपिंग कमांड प्रोग्राम' के लिए संयुक्त राष्ट्र के फील्ड सपोर्ट विभाग को लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया, जिसके द्वारा विशेष रूप से 'आचरण और अनुशासन के मुद्दों' पर प्रकाश डाला गया।

फिर से ज़ूम आउट करते हुए, यह कहना सुरक्षित होगा कि डब्ल्यूपीएस पर भारत की स्थिति पिछले बीस वर्षों में विकसित हुई और बदल गई है, निश्चित रूप से शांति अभियानों में लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत की घोषित प्रतिबद्धताओं के संबंध में महिलाओं और शांति व्यवस्था के लिए डब्ल्यूपीएस एजेंडा के "रोकथाम" स्तंभ पर अधिक ध्यान देकर संभावित रूप से मजबूत किया जा सकता है।

6 रोट्सरिइल्ड, नताली (2014) 'स्वीडिश महिला बनाम व्लादिमीर पुतिन', विदेश नीति, 5 दिसंबर।

7 बेसिल, सूरमाता और लौरा जे शेफर्ड (2018) 'टुकड़ों में रोकथाम: महिलाओं में संघर्ष का प्रतिनिधित्व, शांति और सुरक्षा एजेंडा', वैश्विक मामले, 3:4-5, पी। 448.

दूसरा उदाहरण डब्ल्यूपीएस और आतंकवाद का मुकाबला करने के एजेंडे पर एक साथ आने के भारत के बदलते रुख से संबंधित है। भारत ने 2015 में इसके खिलाफ आगाह किया था, लेकिन 2018 तक यह परिषद की प्रतिबंध समितियों से 'सशस्त्र संघर्ष में यौन और लिंग आधारित हिंसा में शामिल आतंकवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को सक्रिय रूप से सूचीबद्ध करने के मुद्दे को संबोधित करने' के लिए कह रहा था।

इसलिए, शांति स्थापना और आतंकवाद दो मुख्य विषयगत मुद्दे हैं जो मेरे सामने खड़े थे, मैं इन पर ध्यान केंद्रित करूँगी क्योंकि मैं इस वर्तमान (2021-2022) कार्यकाल में आगे बढ़ने के दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ूँगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शांति स्थापना इस चर्चा के केंद्र में रहेगी। भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर हाल ही में आईसीडब्ल्यूए-यूएसआई वेबिनार में, एक से अधिक वक्ताओं ने महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस अर्थ में, डब्ल्यूपीएस को भारतीय दृष्टिकोण में कुछ हद तक मुख्यधारा में शामिल किया गया प्रतीत होता है। मैं यहाँ भारत के बयानों का हवाला देते हुए जोड़ूंगी, कि लाइबेरिया में एफएफपीयू के काम का उद्देश्य संघर्ष की पुनरावृत्ति को भी रोकना था; शांति अभियानों में लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत की घोषित प्रतिबद्धताओं को डब्ल्यूपीएस एजेंडा के "रोकथाम" स्तंभ पर और ध्यान देकर संभावित रूप से मजबूत किया जा सकता है।

आतंकवाद को चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना गया है, और भारत इस वर्ष दो प्रतिबंध समितियों की अध्यक्षता कर रहा है और 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है, डब्ल्यूपीएस के भी संबंध में और विकास हो सकता है, मुझे यहाँ यह जोड़ना चाहिए कि नारीवादी विद्वानों ने डब्ल्यूपीएस और आतंकवाद विरोधी एजेंडा को एक साथ लाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह कुछ मामलों में महिलाओं की कमजोरियों को बढ़ा सकता है। मुझे विश्वास है कि आतंकवाद का अध्ययन करने वाले डॉ. पाराशर प्रश्नोत्तर सत्र में इस पर अपने विचार रख सकते हैं।

अपनी ओर से, मैं दो मुद्दों पर प्रकाश डालूँगी जिन पर भारत को विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वैश्विक डब्ल्यूपीएस एजेंडा के साथ उसका जुड़ाव जारी है। यह मेरा तीसरा और समापन बिंदु है। सबसे पहले, सुरक्षा क्षेत्र में लिंग-संवेदनशील विदेश नीति पर भारत की जागरूकता घरेलू मुद्दों पर ध्यान

आकर्षित करेगा। सुरक्षा परिषद में, भारत द्वारा घरेलू संदर्भों ने मुख्य रूप से देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को विशेष रूप से पंचायत स्तर पर उजागर किया है।

उदाहरण के लिए, पिछले साल दिए गए एक बयान में कहा गया है, 'महिला नेतृत्व को मुख्यधारा में लाने और राजनीतिक भागीदारी का भारत का अनुभव भारत के कार्यों को प्रेरित करती रहेगा।' इसने आम तौर पर डब्ल्यूपीएस की उद्घाटन बैठकों में देश के भीतर क्षेत्रीय चिंताओं या हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित करने से परहेज किया है; यहाँ कुछ अपवाद सीमा पार आतंकवाद और महिलाओं पर इसके प्रभाव के संदर्भ हैं, और 2019 का एक बयान है जिसमें 'एक राज्य के सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ 'दंड से मुक्ति के साथ किए गए भयावह अत्याचारों' को याद किया गया है। यह 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संबंध में था। मैं एक राष्ट्रीय कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में अस्पष्ट हूँ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लिंग के बारे में बात करने के लिए भारत की वैधता को मजबूत करने के लिए देश के भीतर लिंग और सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना

दूसरा, भारत और सुरक्षा परिषद पर कोई भी चर्चा स्थायी सीट के लिए उसके लंबे समय से चले आ रहे अभियान के इर्द-गिर्द बहस में फँस जाती है। जबकि यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ऐसे चार्टर परिवर्तनों को महसूस करना अत्यंत कठिन है। मैं प्रश्नोत्तर सत्र में इस पर और चर्चा करना चाहूँगी । भारत को इसके बजाय सुरक्षा परिषद (अधिक व्यापक रूप से) में निर्णय लेने में अधिक प्रबल राय रखने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को समर्पित करना चाहिए, जैसा कि उसने शांति अभियानों के संबंध में करने की माँग की है। मुझे इस अंतरराष्ट्रीय पहलू पर और विशेष रूप से सामने आने वाली चुनौतियों पर ज्यादा कहना है। उदाहरण के लिए, मिनुस्तह को नियंत्रित करने के लिए ब्राजील के दृष्टिकोण को हैती में स्वागत किया गया था, लेकिन इसने इसे अंतरराष्ट्रीय लाभ नहीं दिया, जिसकी उसने अलग तरीके से शांति व्यवस्था करने के अपने प्रयासों से आशा की थी।[8] भारत को अपने विभिन्न हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक लैंगिक संवेदनशील विदेश नीति के साथ आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से, डब्ल्यूपीएस एजेंडा के पहलुओं सहित लिंग के साथ अधिक जुड़ाव, सामायिक और समझदारी दोनों है। बहुत बहुत धन्यवाद।

राजदूत निरुपमा मेनन राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद, सौमिता यह वास्तव में बहुत दिलचस्प था। शांति और सुरक्षा में महिलाओं पर ये चर्चाएँ और भारत के लिए आगे बढ़ने के तरीके और जिस तरह से भारतीय दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा है, मुझे लगता है कि आपने इसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत किया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे, हमारे शांति निर्माण अभियान, सुरक्षा स्तंभ और अब संभवतः एक रोकथाम स्तंभ भी, तो यह कुछ ऐसा है जिस पर

	मुझे लगता है कि गहन चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन उन बिंदुओं पर चर्चा के लिए एक बार फिर धन्यवाद।

समय को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमें अपने अगली वक्ता डॉ. बिंदुलक्ष्मी पट्टादथ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में एडवांस्ड सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर को आमंत्रित करना होगा। उनकी रूचि के शोध विषय लिंग अध्ययन, श्रम, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, स्वास्थ्य और विकलांगता क्षेत्र के हैं। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में नृवंशविज्ञान क्षेत्र का काम करने और भारतीय प्रवासी महिलाओं, घरेलू कामगारों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को समझने का वर्षों का अनुभव है। मैं उन्हें उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ । धन्यवाद।

8 डी पाउला, फ्रांसिन रॉसोन (2019) ब्राजील की गैर उदासीनता: एक नारीवादी राजनयिक एजेंडा या हमेशा की तरह भू-राजनीति के लिए एक मामला?' राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी जर्नल, 27:1

डॉ. बिंदुलक्ष्मी पट्टादाथी (एसोसिएट प्रोफेसर, एडवांस्ड सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, टीआईएसएस, मुंबई)	मुझे इस अत्यंत उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण पैनल में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले के वक्ताओं ने लिंग-संवेदनशील विदेश नीति और विदेश नीति पर नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है, मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों या विदेश नीति के मामलों में विशेषज्ञ नहीं हूँ। तथापि, मुझे लगता है कि लिंग संवेदनशील विदेश नीति के बारे में सोचने और काम करने पर, प्रवासी कामगारों के एक छोटे से हिस्से, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी महिला घरेलू कामगारों के एक महत्वपूर्ण पहलू को देखे बिना ध्यान नहीं दिया जा सकता है, जो राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दे रहे हैं।

2006 के बाद से, मैं सक्रिय रूप से लिख रहा हूँ और अंतरराष्ट्रीय देशांतरण प्रवास के साथ जुड़ रही हूँ, विशेष रूप से उन महिला प्रवासी घरेलू कामगारों के जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ जो भारत से मध्य पूर्व की यात्रा कर रही हैं। मैंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के दो प्रमुख अमीरात दुबई और शारजाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक नृवंशविज्ञान फील्डवर्क किया है । इसलिए मैं आज यहाँ अंतरराष्ट्रीय महिला प्रवासियों के बीच चल रहे मेरे शोध से कुछ बिंदु और प्रतिबिंब लाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर और अधिक चर्चा होगी।

लिंग-संवेदनशील विदेश नीति क्या है? विदेश नीति के इर्द-गिर्द बातचीत शुरू करने के लिए प्रस्थान-बिंदु क्या है? पहले के वक्ताओं ने पहले ही इन पहलुओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, इसलिए मैं इन सवालों को छूने और इन पर विस्तार से विचार करने की योजना नहीं बना रही हूँ । तो मैं एक प्रवासी महिला की कहानी से शुरू करती हूँ, जिस से मैं संयुक्त अरब अमीरात में अपने फील्डवर्क के दौरान लंबे समय के लिए मिली और बातचीत की।

सुजा एक भारतीय प्रवासी घरेलू कामगार है, जिससे मैं 2007 में दुबई में मिली थी । जिस समय मैं उस से मिली, वह एक भारतीय घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। सुजा के प्रवास पथ की एक बहुत लंबी और जटिल कहानी है; कम उम्र में उसका एक अपमानजनक वैवाहिक संबंध था। उसकी कहानियों में घरेलू हिंसा के वर्षों के आघात मिलते हैं और जब उसे एक एजेंट के माध्यम से एक प्रवासी

घरेलू कामगार के रूप में विदेश यात्रा करने का मौका मिला तो उसने कैसे आखिरकार अपमानजनक पति और घर छोड़ने का साहस जुटाया। प्रवास की यात्रा करने के लिए उसने अपने नवजात बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ दिया। इस यात्रा के लिए, सुजा के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने अपने छोटे से घर और जमीन को गिरवी रख दिया ताकि सुजा एजेंट को यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा दे सके।

सुजा[9] कई आकांक्षाओं और आशाओं के साथ दुबई पहुँची लेकिन पहला घर जहाँ उसने काम किया वह उसके अनुकूल नहीं था। उसे लगातार उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा, सुजा ने आखिरकार उस घर से भागने का फैसला किया।

9 प्रतिभागियों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सभी नामों को गुमनाम कर दिया गया है।

उसका पासपोर्ट नियोक्ता द्वारा जब्त कर लिया गया था और घर से भागने से पहले सुजा इसे हासिल नहीं कर सकी थी। वह आधिकारिक नजरों में फरार बन गई थी (श्रमिकों का पासपोर्ट जब्त करना कई रोजगार के संदर्भों में एक प्रथा रही है, विशेष रूप से घरेलू काम के संदर्भ में जहाँ काम की शर्तें ज्यादा निजी प्रकृति की होती हैं)। तथापि दुबई में घरेलू कामगारों के लिए श्रम बाजार की माँग के कारण, सुजा को दूसरे घर में काम मिल गया। इसी मौके पर मेरी सुजा से मुलाकात हुई। (यद्यपि यूएई की अमीरातीकरण प्रक्रिया ने प्रवासियों के विभिन्न श्रम बाजारों को प्रभावित किया है, घरेलू काम एक ऐसा क्षेत्र है जो अमीरातीकरण से प्रभावित नहीं है, इस प्रकार प्रवासी घरेलू श्रम की निरंतर माँग है)। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के बिना, आधिकारिक श्रेणी में एक भगोड़े के रूप में, माँग वाले श्रम बाजार में सुजा भी आसानी से उपलब्ध सस्ते मजदूरों में से एक बन गई।

2007 में इस समय के आसपास, संयुक्त अरब अमीरात ने आम माफी की घोषणा की, जिसने बिना दस्तावेजों के प्रवासियों और अन्य यात्रियों के लिए, जो वीजा अवधि से ज्यादा रह रहे है, अपने मूल देश में लौटने के लिए एक अवसर प्रदान किया । हालाँकि, सुजा ने माफी का उपयोग नहीं करने का फैसला किया और अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकने, कर्ज चुकाने और एक बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दुबई में ही रहने और काम करने का फैसला किया। तो सुजा एक बिना-दस्तावेज की (दूसरे शब्दों में फरार) प्रवासी घरेलू कामगार बनी रही।

सुजा की यह अकेली कहानी नहीं है। मैं दुबई और शारजाह में अपने फील्डवर्क के दौरान सुजा जैसी कई महिलाओं से मिली हूँ, उनमें से कई को आधिकारिक शब्दावली में 'भगोड़ा, भगोड़ा घरेलू या' अवैध प्रवासी माना जा सकता है। सुजा केवल एक अवैध प्रवासी नहीं है, बल्कि वह है जिसका जीवन असमानता और भेदभाव को कायम रखने वाली व्यवस्था के कारण अनिश्चित हो गया है। क्या मैं सुजा को गतिशीलता व्यवस्था की एक कमजोर शिकार कह सकती हूँ या क्या वह एक उत्तरजीवी है जिसने प्रवासन के उबड़-खाबड़ नियमों के रास्ते को सावधानीपूर्वक और सावधानी से पार किया है:

तो मुझे सुजा जैसी कई महिलाओं की कहानी में दिलचस्पी क्यों है? 2007 में, भारत सरकार एक कानून लाई, जो 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को, यदि उन्हें ईसीआर पासपोर्ट के साथ जाना है, यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित करता है। कई अन्य महिला श्रमिकों के साथ साथ प्रवासी घरेलू कामगारों को यात्रा करने की योजना बनाने से पहले प्रवासियों के संरक्षक से उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता होती है।

यह आयु प्रतिबंध अनिवार्य रूप से महिलाओं को यात्रा करने से रोकता है या राज्य के आदेश को दरकिनार करने के लिए मजबूर करता है। इससे उनकी हालत नाजुक हो जाती है। इस उम्र प्रतिबंध का संदर्भ क्या है?

अवैध व्यापार पर प्रमुख विमर्श महिलाओं द्वारा प्रवास के दौरान की जाने वाली बातचीत के कई आख्यानों की अनदेखी करता है।

यह महिलाओं को शोषण से बचाने के बहाने आया है, हालाँकि वास्तव में यह उनके गतिशीलता के अधिकार पर अंकुश लगाता है और महिलाओं को प्रवास के 'अनियमित' चैनलों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं राज्य से इस प्रकार के संरक्षणवाद को केवल प्रतीकवाद के रूप में देखती हूँ, संरक्षणवाद की आड़ में एक प्रतीकात्मक नियमन। यहाँ हम मानते हैं कि यह महिलाओं की रक्षा कर रहा है लेकिन यह बिल्कुल उल्टा करता है। इस विनियम को आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियों को खोजना महत्वपूर्ण है, न कि उन महिलाओं को पीछे धकेलना जो अनिश्चितता में सभी बाधाओं से लड़ रही हैं। अपने शोध के हिस्से के रूप में, मैंने आयु प्रतिबंध के इतिहास और यह कैसे उभरा को करीब से देखने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि जब महिलाएँ काम के लिए और अन्य कारणों से प्रवासन करने का प्रयास करती हैं तो अवैध व्यापार का विमर्श इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है। अवैध व्यापार पर प्रमुख विमर्श महिलाओं द्वारा प्रवास के दौरान की जाने वाली बातचीत के कई आख्यानों की अनदेखी करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं को सही प्रवासियों और श्रमिकों के रूप में स्वीकार नहीं करता है और उन्हें केवल कमजोर निकायों को देखने का प्रयास करता है, जिनका तस्करों द्वारा आसानी से शोषण किया जा सकता है।

तो ऐसी विकट परिस्थितियों में महिलाएँ क्या करें ? या तो उन्हें 30 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा या राज्य के नियमों को दरकिनार करने का रास्ता खोजना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कई महिलाएँ ऐसा करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वे राज्य को सुरक्षित प्रवासन की सुविधा प्रदान करने वाला नहीं मानती हैं। जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि राज्य के और गैर-राज्य के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने या हवाई अड्डे से 'धक्के' के माध्यम से निकाल देने को सुविधाजनक बनाने में मदद करके इस विनियमन को दरकिनार करने में महिलाओं की मदद करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की व्यवस्था और बिचौलियों का नेटवर्क इससे लाभान्वित होता है। मैं यहाँ जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ, वह यह है कि महिलाओं के प्रवास को तस्करी से जोड़ने की प्रणाली और महिला प्रवासियों को कमजोर पीड़ित के रूप में मानना अनिवार्य रूप से महिलाओं को केवल कामुक लिंग वाले शरीर के रूप में धकेलते हैं। राज्य के इस हावी होने वाले मर्दाना निरूपण में हम महिलाओं को सम्मान के साथ यात्रा करने के अधिकार के साथ श्रमिकों के रूप में न देखते हैं और न ही स्वीकार करते हैं।

मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि जब मैं लैंगिक प्रवास की बात कर रही हूँ, तो मैं यह नहीं कहना चाहती कि महिलाएँ केवल आजीविका के लिए प्रव्रजन करती हैं। यह उनकी आकांक्षा और इच्छा है, और उन्हें यात्रा करने का अधिकार है। यह घरेलू हिंसा की स्थिति से भागने के लिए हो सकता है, जैसा कि हमने सुजा के साथ देखा है, या यह अन्य लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में हो सकता है जिसे उन्होंने घर पर झेला हो, या यह मात्र एक नई जगह देखने की उनकी आकांक्षा हो सकती है। प्रवासन का कारण जो भी हो, वे वैश्वीकृत दुनिया में गतिशील व्यवस्था के महत्वपूर्ण एजेंट हैं।

स्वर्णा (पहले स्पीकर) ने पहले ही इस बारे में बात की थी और मुझे इस पर फिर से जोर देना चाहिए, एक आक्रामक, अति-पुरुषवादी अल्ट्रा-नेशनल विदेश नीति हमें एक समावेशी विदेश नीति की पुनः कल्पना करने में मदद नहीं करेगी। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ महिलाओं को एक समरूप श्रेणी के रूप में उपयोग नहीं करती हूँ । विभिन्न स्तर के पदानुक्रम होते हैं और काम की विशिष्ट प्रकृति के कारण, महिला घरेलू कामगार अक्सर उस पदानुक्रम के निचले भाग में आती हैं। हालाँकि, भेद्यता के अपने संदर्भ में, महिला घरेलू कामगार यात्रा करने, राज्य के आदेश को दरकिनार करने और वैश्वीकृत श्रम बाजार के भीतर नेविगेट करने के तरीके खोज रही हैं। आइए उसे स्वीकार करें और एक देखभाल करने वाले चिंतनशील राज्य को उनकी गतिशीलता पर अपने नियम बनाने के बजाय गरिमा के साथ उनकी सुरक्षित यात्रा को मान्यता देनी चाहिए और सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

जब हम लिंग-संवेदनशील विदेश नीति के बारे में बात करते हैं, तो हम आम तौर पर एक मानक सामान्य ज्ञान के रूप में लिंग के साथ शुरू करते हैं। तथापि, हमारे लिए नीतिगत ढाँचे में केवल एक परिशिष्ट के रूप में 'लिंग' सभी हितधारकों के लिए एक समावेशी विदेश नीति की फिर से कल्पना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें लैंगिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने की जरूरत है और उन परस्पर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक नीति तैयार की जानी चाहिए।

एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति राज्य-संस्थागत सांठगांठ की एक ओवरहालिंग की भी माँग करती है जो पितृसत्तात्मक शक्ति संबंधों के माध्यम से बनाई गई है और मैं इस आयु प्रतिबंध के संदर्भ में उसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। इसलिए मैं मानती हूँ कि पितृसत्ता की इस विचारधारा से संरक्षणवाद उभरता है जहाँ महिलाएँ राष्ट्र राज्य का प्रतीक और अवतार होती हैं। तो राज्य-संस्थागत गठजोड़ की पितृसत्तात्मक विचारधारा संरचनात्मक असमानताओं को स्पष्ट नहीं करेगी बल्कि संरक्षणवाद की भाषा बोलेगी।

लैंगिक विदेश नीति की फिर से कल्पना करने का तरीका क्या है? अन्य सामाजिक आंदोलनों के साथ राज्य-नागरिक समाज सहयोग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक मजबूत नारीवादी विदेश नीति को स्पष्ट कर सकते हैं। हमें भारत में नारीवादी आंदोलनों के समृद्ध इतिहास को भी ध्यान में रखना होगा। ये आंदोलन हमें स्थानीय लैंगिक जरूरतों और विशिष्टताओं को समझने में मदद करते हैं। हमें संबंधपरक देखभाल नैतिकताओं के आधार पर अपने नीतिगत ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है जो हमें लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में सोचने में मदद करेगी, न कि व्यक्तिगत केंद्रित बल्कि स्थानीय आंदोलनों और सामूहिक दृढ़ता में अंतर्निहित। इसलिए लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने के लिए रणनीतियाँ देखभाल की इस संबंधपरक नैतिकता से आनी चाहिए, न कि संरक्षणवाद के अति पुरुषवादी विचारों से।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक नैतिक ढाँचे से दूर जाने की जरूरत है जो महिलाओं को कामुक लिंग वाले शरीर के रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने के लिए पद्धति संबंधी रणनीतियाँ देखभाल की इस संबंधपरक नैतिकता से आनी चाहिए, न कि संरक्षणवाद के अति पुरुषवादी विचारों से।

महिला घरेलू कामगारों की कहानियों और उनके प्रवास के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी नीति को फिर से तैयार करने में मदद मिलेगी।
प्रवासन की अभिव्यक्ति के लिए भी एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में, जब हम राष्ट्र राज्य और राज्य की सीमाओं के सख्त शासन के भीतर प्रवास के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं - अंतरराष्ट्रीय प्रवास हमें इस पद्धतिगत राष्ट्रवाद की फिर से कल्पना करने और प्रवासियों की जीवन कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। प्रवास के इर्द-गिर्द नारीवादी विद्वता इस पद्धतिगत पुन: कल्पना के लिए हमारी मदद करती है। तो आइए प्रवासी महिलाओं की कहानियों पर ध्यान दें कि वे क्या चाहती हैं और यह ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण होना चाहिए। मौजूदा आयु प्रतिबंध स्पष्ट रूप से हमारे नीति निर्माताओं के इस ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से आ रहा है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है। मौजूदा नीति निर्माण के साथ समस्या यह है कि किसे विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है और किसे केवल लाभार्थी माना जाता है, के बीच एक बड़ा बायनरी है। उदाहरण के लिए, महिला घरेलू कामगारों के आख्यानों और उनके प्रवास के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी नीति को फिर से तैयार करने में मदद मिलेगी। हाशिये के लोगों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक सहभागी दृष्टिकोण लंबे समय से अतिदेय है।

वास्तव में उन महिलाओं की जीवन कहानियाँ जिनके साथ मैंने समय-समय पर बातचीत की, एक नए ढाँचे के साथ प्रवासन शासन तक पहुँचने की संभावनाएँ खोलती हैं। महिलाओं की कहानियों को सुनने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि वे एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से कैसे नेविगेट करती हैं जो उनकी स्थितियों को विकट बनाती है, वे हमेशा कमजोर शिकार नहीं होती हैं बल्कि वैश्विक प्रवास प्रवाह में महत्वपूर्ण भागीदार होती हैं। उनके प्रवास पथ को उनके स्थित संदर्भों के भीतर समझने की जरूरत है, न कि केवल वैधता और अवैधता के दो आधारों में। मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद देती हूँ।

राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद, उस सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य को प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. बिन्दुलाक्ष्मी, जिसे हमारे स्थूल परिप्रेक्ष्य को सूचित करना चाहिए और अवैध प्रवासियों जैसे शब्दों का उपयोग करने, प्रवास के साथ तस्करी को

	भ्रमित करने में और वास्तव में जब महिलाएँ प्रवास के रास्ते तलाशती हैं तो जमीनी स्तर पर उनकी आकांक्षाएँ क्या हैं को समझ पाने में संवेदनशीलता की आवश्यकता को सूचित करना चाहिए। आपकी टिप्पणियों की लिए बहुत बहुत धन्यवाद

महिलाओं की कहानियों को सुनने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि वे एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से कैसे नेविगेट करती हैं जो उनकी स्थितियों को विकट बनाती है, वे हमेशा कमजोर शिकार नहीं होती हैं बल्कि वैश्विक प्रवासन प्रवाह में महत्वपूर्ण भागीदार होती हैं।

		विश्व मामलों की

अब हम आज दोपहर की हमारी चर्चा की अंतिम, लेकिन कम महतवपूर्ण नहीं, पैनलिस्ट पर आते हैं । सुश्री आकाँक्षा खुल्लर। वे शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान, दिल्ली में आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा केंद्र में शोधकर्ता हैं। उनका काम महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडा पर केंद्रित है और यह पहचानना कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को आकार देने में कैसे योगदान दिया । मैं आकाँक्षा को अपनी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ । धन्यवाद।

सुश्री आकाँक्षा खुल्लर (शोधकर्ता, शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली में आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा केंद्र)	एक शोधकर्ता और एक नारीवादी के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को लिंग-संवेदनशील विदेश नीति अपनाने के कई कारण हैं। लेकिन जो बात मुझे रोमांचित करती है वह यह है कि लोगों ने आज और ऐसे समय में यह सवाल पूछना शुरू कर दिया है जब भारत की विदेश नीति पहले से ही अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाने की कल्पना कर रही है और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता बनाने की ओर बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए, भारत ने हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य बनकर एक महत्वपूर्ण विजय हासिल की है। भारत को यूएनएससी के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में भी चुना गया है और इसकी सीट ग्रहण करने पर, राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके कार्यकाल के दौरान महिलाओं के समावेश के साथ-साथ शांति-स्थापना और शांति-निर्माण पर भारत का ध्यान आकर्षित होगा।

यहाँ यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पहले, भारत ने डब्ल्यूपीएस पर यूएनएससी की खुली बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो एक क्रॉस-कटिंग मुद्दा है और इसका सह-प्रायोजित संकल्प 1889 है जो डब्ल्यूपीएस एजेंडा का एक हिस्सा है और संघर्ष के बाद शांति निर्माण पर केंद्रित है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और सदस्य राज्यों द्वारा यूएनएससीआर1325 के कार्यान्वयन को मापने के लिए संकेतकों के विकास का आह्वान करता है।

हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक समानता और शांति और सुरक्षा मामलों में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में भारत की मजबूत अलंकारिक प्रतिबद्धताएँ,

भारत को यूएनएससी के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में भी चुना गया है और इसकी सीट ग्रहण करने पर, राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके कार्यकाल के दौरान महिलाओं के समावेश के साथ-साथ शांति-स्थापना और शांति-निर्माण पर भारत का ध्यान आकर्षित होगा।

महिलाओं को वास्तव में इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा गया है कि एक विशिष्ट "महिला दृष्टिकोण" का झुकाव "सॉफ्ट-सिक्योरिटी" से संबंधित मामलों जैसे मानव सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रवास और तस्करी आदि से होगा, इस प्रकार अधिक महत्वपूर्ण कठिन सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से अलग रहा है।

व्यवहार में उतारें, तो मेरा मानना है कि भारत को नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी) ढाँचे को अपनाने पर विचार करना चाहिए; इस प्रकार, नीति स्तर पर लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करना चाहिए ।

एफएफपी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचनाओं को गंभीर रूप से प्रतिबिंबित करके और मानव सुरक्षा को चर्चा के केंद्र में रखकर हाशिए के लोगों और महिला समूहों की जरूरतों की रक्षा करने पर केंद्रित करता है। इसलिए, भारत के शब्दों और कार्यों के बीच सह-संबंध बनाने के अलावा, एक एफएफपी भारत को शांति के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने; महिलाओं के खिलाफ घरेलू बाधाओं को खत्म करने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में सहायता करने का भी अवसर प्रदान कर सकता है; ये मुख्य बिंदु हैं, जिन पर मैं अपनी प्रस्तुति के दौरान ध्यान दूँगी ।

आगे बढ़ने से पहले, भारत की विदेश नीति क्रिया को संक्षेप में समझना महत्वपूर्ण है ताकि यह आकलन किया जा सके कि भारत को एफएफपी दृष्टिकोण क्यों अपनाना चाहिए।

तो बात यह है कि, किसी भी राष्ट्र की तरह, अपनी विदेश नीति क्रिया में भारत की प्रमुख प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के रखरखाव के साथ-साथ बचाव सुनिश्चित करना है। लेकिन, इस लक्ष्य को निर्धारित करने में, भारत ने सैन्य सुरक्षा पर टिके हुए, बल के प्रयोग पर केंद्रित सुरक्षा के एक पारंपरिक और संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाया है।

इसके लिए आंशिक रूप से इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि सदियों से पुरुषों ने भारत के भीतर कूटनीति और विदेशी संबंधों के संचालन पर एकाधिकार कर लिया है। इस प्रकार, सुरक्षा की भारत की पारंपरिक, पुरुष-परिभाषित धारणा लिंग-विचारहीन बनी रही है, महिलाओं की विशेष

आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए, और इस प्रकार, सख्त सुरक्षा मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, सॉफ्ट-पॉवर कूटनीति से संबंधित मामलों की अनदेखी कर रही है।

महिलाओं को, वास्तव में, इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा गया है कि एक विशिष्ट "महिला दृष्टिकोण" का झुकाव "सॉफ्ट-सिक्योरिटी" से संबंधित मामलों जैसे कि मानव सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रवास और तस्करी आदि के लिए अधिक होगा, और इस प्रकार अधिक महत्वपूर्ण सख्त सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से भटक जाएगा। इस सामाजिक रूप से निर्मित द्वंद्व के परिणामस्वरूप, शक्ति और सुरक्षा को पुरुष डोमेन के रूप में आरक्षित किया गया है, जहाँ महिलाओं या सॉफ्ट सुरक्षा मुद्दों के लिए सीमित स्थान या कोई स्थान नहीं था।

पिछले कुछ दशकों में ही भारत की विदेश नीति, विरोधियों का मुकाबला करने के अलावा, गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों की ओर बढ़ने लगी है। लेकिन महिलाओं के लगातार हाशिए पर रहने - भारत के सुरक्षा क्षेत्र में और अन्यथा - ने भारत के दृष्टिकोण को गहराई से लैंगिक बनाना जारी रखा है, जहाँ शक्ति, आक्रामकता और वर्चस्व, महिलाओं को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक शांति लाने के लक्ष्यों के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त करते हैं।

वास्तव में, भारत के राजनयिक तंत्रों के भीतर निर्णय लेने की स्थिति में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आज तक, भारत के विदेश सचिव के पद के लिए तैंतीस नियुक्तियों में से केवल तीन महिलाएँ रही हैं। इसी तरह, 3 मार्च 2020 तक, भारत में विदेशों में कुल 125 दूतावास और उच्चायोग थे, लेकिन उनमें से केवल 23 में महिलाएँ मुखिया थीं। इसके अलावा, आईएफएस कैडर की संख्या 16 अक्टूबर 2020 तक केवल 176 महिला अधिकारियों के साथ कुल 815 थी।

नीति-निर्माण के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति में लिंग-मुख्यधारा के प्रयास बड़े पैमाने पर विकास सहायता प्रतिमान के तहत हुए हैं, जहाँ विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्देशन महिलाओं को समावेशी विकास का चालक बनाने की दिशा में किया जाता है। जबकि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यह दृष्टिकोण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सही दिशा में एक कदम है, सच्चाई यह है कि यह ऐसा केवल आंशिक रूप से करता है, क्योंकि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने के बजाय कुछ भूमिकाएँ दी जाती हैं, और उनके पास बहुत कम विकल्प होते हैं।

इन चुनौतियों के आलोक में, यह महत्वपूर्ण है कि भारत न केवल संगठनात्मक स्तर पर बल्कि नीति निर्माण के मामले में भी अधिक व्यापक और समावेशी परिणाम प्राप्त करने के लिए सुधारों का अनुसरण करे। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एफएफपी ढाँचे को अपनाना है।

एफएफपी दृष्टिकोण भारत को समानता, समान कल्याण और शांति की ओर बढ़ने के लिए एक ठोस ढाँचा प्रदान करता है। एफएफपी कूटनीति और सुरक्षा पर नारीवादी दृष्टिकोण के तीन केंद्रीय सिद्धांतों

पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा की समझ को व्यापक बनाना, आंतरिक शक्ति संबंधों को डिकोड करना और महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को स्वीकार करना शामिल है।

इस अर्थ में, एफएफपी युद्ध, शांति और विकास सहायता की पारंपरिक धारणाओं से आगे बढ़ने का एक प्रयास है, जो कि अर्थशास्त्र, वित्त, स्वास्थ्य और पर्यावरण सहित विदेश नीति के अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भारत में प्रचलित है। ऐसा करने से, ढाँचा सुरक्षा को अधिक समग्र रूप से देखता है और महिलाओं और हाशिए के समूहों पर अपनी नीतियों के प्रभावों को शामिल करता है।

जबकि भारत के राजनयिक ढाँचे ने पहले से ही सॉफ्ट पावर कूटनीति के लिए उपकरण अपनाए हैं, एक नारीवादी विदेश नीति को अपनाने से, मानव सुरक्षा और लैंगिक मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपनी वैश्विक शक्ति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत के मौजूदा प्रयासों को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है।

जबकि भारत के राजनयिक ढाँचे ने पहले से ही सॉफ्ट पावर कूटनीति के लिए उपकरण अपनाए हैं, एक नारीवादी विदेश नीति को अपनाने से, मानव सुरक्षा और लैंगिक मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपनी वैश्विक शक्ति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत के मौजूदा प्रयासों को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है।

इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से संभावित रूप से भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर सकेगा जो विभिन्न मुद्दों के बारे में चिंतित है; अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हुए, राष्ट्रों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए संकेतकों और सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन करे; और महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थायी शांति लाने की दिशा में पूरी दृढ़ता से योगदान दे।

नारीवादी विदेश नीति को अपनाना भारत के घरेलू संदर्भ में एक आंतरिक बदलाव के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से सख्त परिभाषित पितृसत्तात्मक लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में, जिसमें महिलाएँ पुरुषों के अधीन बनी रहती हैं। अनुभवजन्य शोध ने सुझाव दिया है कि लैंगिक समानता किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है। भारत की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और अन्य हाशिए के समूहों को प्रतिबंधित करने वाली मौजूदा बाधाओं को दूर करके यह अधिक समावेशी नीतियों को सक्षम करेगा।

अंत में, एक एफएफपी महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देकर देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक बड़ा वरदान प्रदान कर सकता है, जो भारत को उन देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की अनुमति देगा जिन्होंने या तो इस ढांचे को अपनाया है - जैसे कि मेक्सिको, स्वीडन और कनाडा - या जो अन्यथा लैंगिक समानता के प्रमुख समर्थक हैं। यह देखते हुए कि एफएफपी एक सर्व-समावेशी दृष्टिकोण है, यह भारत को नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़कर अन्य

देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जहाँ पहले से ही उन देशों में मजबूत मानवाधिकार हैं।

इसलिए एफएफपी भारत को अपनी प्रतिबद्धताओं को गहरा करने और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत के पिछले प्रयास संकेत करते हैं कि यह है ।

नारीवादी विदेश नीति को अपनाना भारत के घरेलू संदर्भ में एक आंतरिक बदलाव के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से सख्त परिभाषित पितृसत्तात्मक लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में, जिसमें महिलाएँ पुरुषों के अधीन बनी रहती हैं।

एफएफपी की ओर बढ़ने के लिए तैयार - इसने 2007 में लाइबेरिया में पहली महिला पुलिस बल इकाई तैनात की; महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर यूएनएससी की बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया; और शांति स्थापना और शांति निर्माण में महिलाओं को शामिल करने की पुरजोर वकालत की। यह दर्शाता है कि घरेलू संदर्भ में प्रचलित लिंग अंतर के बावजूद, भारत ने, कम से कम कुछ मायनों में, यदि पूरी तरह से नहीं, तो डब्ल्यूपीएस एजेंडा पर वैश्विक नियामक ढाँचे के साथ गठबंधन किया है, जिसे शांति और सुरक्षा के मुद्दों के लिंग-आयाम को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत पहले विभिन्न नीति स्तरों पर महिलाओं को सक्रिय रूप से नियुक्त करके और अपने विदेशी संबंधों के संचालन में उन्हें सीधे शामिल करके एफएफपी की ओर बढ़ सकता है। दूसरा, भारत निर्णय लेने के पदों पर महिलाओं को शामिल करके एक मजबूत प्रतिबद्धता बना सकता है, या तो कोटा प्रणाली के माध्यम से या यह सुनिश्चित करके कि पुरुषों और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो। तीसरा, भारत एफएफपी ढाँचे के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है।

हालाँकि, भारत का ऐतिहासिक अभिविन्यास महिलाओं की अधीनता के बारे में कहानियों से भरा होने के कारण, एफएफपी ढाँचे को अपनाना बहुत आशावादी लगता है। पितृसत्तात्मक मूल्य भारतीय समाज में इतनी गहराई से समाए हुए हैं कि भारत शायद ही घरों में असमानता की व्यवस्था में बदलाव ला पाया है। और इस प्रकार, कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि भारत अपनी वैश्विक बातचीत में इस तरह के मजबूत नारीवादी मूल्यों को अपनाएगा? लेकिन सच्चाई यह है कि एक एफएफपी दृष्टिकोण न केवल भारत को सोचने के नवीन तरीकों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है, बल्कि इसे सुरक्षा के अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को बनाने, विविध प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करने और दीर्घकालिक संबंध बनाने की अनुमति देता है।

राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	शुक्रिया आकाँक्षा। और आकाँक्षा हमारे पैनल की सहस्राब्दी आवाज थी। इसलिए हमें उन सभी बातों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है जो उन्होंने कही हैं, समावेश का मूल्य, मानव सुरक्षा को हमारी संपूर्ण नीति निर्माण के केंद्र में रखना, सुरक्षा को अधिक समग्र रूप से देखना। भारत में नारीवादी विदेश नीति हो सकती है या नहीं, इस बारे में अपने निष्कर्ष में शायद वह थोड़ी सतर्क

	थी। लेकिन निश्चित रूप से आशा है और आज हमारे पैनल के अन्य वक्ताओं को सुनकर, आप महसूस करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कहा था, भारत की आत्मा भी नारी है।

एक देश के तौर पर अगर हमारी आत्मा स्त्रैण है तो मुझे लगता है कि नीति निर्माण में इसका प्रभाव पड़ता है। भले ही हम इसे हमेशा उस रूप में व्यक्त न करें, लेकिन निश्चित रूप से अंतर्निहित उपदेश और अवधारणाएँ तो हैं, और भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं।

अब हमारे पास अपने वेबिनार में ज्यादा समय नहीं बचा है।

मुझे लगता है कि हमें अगले 15 मिनट में समाप्त करना होगा। इसलिए मैं सीधे हमारे उपस्थित लोगों के प्रश्नों पर जाऊँगी। पहला सवाल जो हमारे यहाँ है और पैनल में से कोई भी इसका उत्तर देने का प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है - एक नारीवादी नीति एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकती है, मुझे लगता है, यहाँ हमारे क्षेत्र में, जिसमें गहरे पितृसत्तात्मक समुदाय हैं, जैसा कि हम दक्षिण एशिया में देखते हैं, और इस प्रश्न से उद्धरण है, 'जहाँ देश बंदूकें और हथियारों से अधिक संचालित होते हैं'। क्या आप में से कोई हमारे पैनल में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? क्या मैं स्वर्णा से पूछ सकती हूँ? स्वर्णा, कृपया।

डॉ स्वर्णा राजगोपालन	मैं बस एक त्वरित उत्तर देने का प्रयास करूँगी । मुझे लगता है कि यह गाड़ी से पहले घोड़े की तरह है, घोड़े से पहले गाड़ी का सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह विदेश नीति का काम है कि वह हमारे गहरे सैन्यीकृत और पितृसत्तात्मक समाजों पर प्रभाव डाले । बल्कि मुझे लगता है कि प्रभाव दूसरी दिशा में काम करता है और इसलिए हम अपनी नीतियों को अधिक नारीवादी, अधिक लिंग-संवेदनशील, अधिक दयालु बनाने के लिए बदलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इसे, हमारे एक-दूसरे से संबंधित होने के तरीके और हमारी सार्वजनिक बातचीत की संस्कृति को बदलने से आना होगा, यह मेरा संक्षिप्त उत्तर है।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	ठीक। मुझे लगता है कि यह समझ में आने वाला है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर के लिए शायद डॉ. बिन्दुलक्ष्मी कोशिश कर सकती हैं। यह उर्वशी शर्मा का सवाल है। कई बांग्लादेशी महिलाएँ भारत के विभिन्न हिस्सों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं। यह उन्हें कुछ स्वायत्तता और आर्थिक सुरक्षा देती है। इस परिदृश्य में लिंग-संवेदनशील नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं की मुक्ति के व्यापक विचार को कैसे मान्यता देगी?
डॉ. बिन्दुलक्ष्मी	मुझे उम्मीद है कि मैं इसका जवाब दे सकूँगी। जब हम सीमा प्रवास के बारे में बात करते हैं, और यह बयानबाजी भारत में बहुत अधिक है, बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम उस विचार को कैसे बदलें? विशेष रूप से यदि आप सीमा पार को देखने की कोशिश करते हैं, यदि आप सीमाओं को देखते हैं, तो सीमाएँ अत्यधिक सैन्यीकृत हैं। इस अर्थ में सैन्यीकरण किया गया कि यह एक विशेष विचारधारा से आ रहा है जिसके भीतर हमने सीमाएँ बनाई हैं। तो क्या सुरक्षा के विचार की फिर से कल्पना करना आवश्यक नहीं है? क्या महिलाओं की गतिशीलता की स्वायत्तता को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है? महिलाओं को घूमने का अधिकार है। हम उसे गतिशीलता की संवेदनशील अभिव्यक्ति की सुविधा कैसे प्रदान करते हैं? मैं इस पर विधिपूर्वक; विचार करना चाहती हूँ - जिस क्षण हम सोचते हैं, प्रवास की बात करते हैं, जिस क्षण हम सीमा पार करने की बात करते हैं, हम तुरंत राज्य की सीमाओं में डालने का प्रयास करते हैं। और हम उस पद्धतिगत राष्ट्रवाद के साथ बहुत सख्त हैं। और यह अंतर-

	राष्ट्रवाद के बारे में सोचने का समय है जो बहुत मायने रखता है। लेकिन हम अंतर-राष्ट्रवाद की इस अभिव्यक्ति से कैसे निपटते हैं, यह राज्य की सीमाओं से परे है। हम भारत और बांग्लादेश के प्रवासियों के मामलों को अलग-अलग नहीं देख सकते। लेकिन हम प्रवास के बारे में बात करने के लिए राष्ट्रवाद के सख्त शासन, इस अभिव्यक्ति से आगे कैसे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर और बातचीत कर सकते हैं।

		विश्व मामलों की
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं - महिलाओं, उनकी आजीविका और उनकी आकांक्षाओं से संबंधित इन मुद्दों में से कुछ के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए हम राष्ट्रवाद के सख्त शासन से कैसे बचें ।	
डॉ. बिन्दुलक्ष्मी	क्या मैं सिर्फ एक और चीज जोड़ सकती हूँ? अगर मैं ज्यादा समय ले रही हूँ तो मुझे क्षमा करें ।	
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	हाँ	
डॉ. बिन्दुलक्ष्मी	मेरे पास कई कहानियाँ हैं। एक महिला के बारे में है जिससे मैं मिली । वह दक्षिणी राज्य केरल से है और मैंने उसकी माँ से मिलने जाने का फैसला किया। मैं उसकी माँ के साथ थी । उसी समय मुझे उसका फोन आया और वह कहती है कि वह निर्गम पास पाने का इंतजार कर रही है, दूतावास ने यह बताया कि उसका नाम वहाँ नहीं है, क्योंकि दस्तावेज़ के अनुसार वह पहले ही देश छोड़ चुकी है। और वह वहाँ दुबई में है, और वहाँ किसी के भी द्वारा पासपोर्ट को जब्त करने की प्रथा है। और यहाँ एक महिला है जिसे अब प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना अपने अस्तित्व को साबित करना है । तो हम एक राष्ट्र राज्य के बारे में कैसे बात करते हैं, हम उस संदर्भ में प्रवास के बारे में कैसे बात करते हैं? कई कहानियाँ सामने आ रही हैं।	
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	बिलकुल ठीक कहा। और जैसा कि आप मानते ही हैं कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार ही हैं । मैं एक प्रश्न पर आती हूँ जो हमारे पास व्हाट्सएप द्वारा आया है। और सौमिता, शायद आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगी । जैसा कि एक वक्ता ने ठीक ही बताया कि कुछ पश्चिमी देशों द्वारा जो एक ओर नारीवादी मानदंडों को बढ़ावा देते हैं और दूसरी ओर उच्च हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देते हैं, क्या नारीवादी विदेश नीति के कोई कट्टरपंथी प्रगतिशील आख्यान हैं जो गैर-पश्चिमी राज्यों से उभर सकते हैं? सौमिता क्या आप जवाब देना चाहेंगी ?	

डॉ. बिन्दुलक्ष्मी	ज़रूर, यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। लेकिन मैं मेरे आलोचकों से भी कहूँगी, विशेष रूप से कनाडा और स्वीडन के मामले में, हमें इन नीतियों के विरोधाभासी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। मेरा मतलब है कि ये देश महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए वे धन भी दे रहे हैं। इसलिए मैं इन देशों की आलोचना कर रही हूँ, लेकिन यह भी इंगित कर रही हूँ कि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। जहाँ तक गैर-पश्चिमी विचारों, संभावित नीतिगत योगदानों का संबंध है, मुझे लगता है कि चैट बॉक्स में भी एक संबंधित प्रश्न नारीवादी विदेश नीति को क्रियात्मक बनाने के संबंध में है।

महिलाओं, उनकी आजीविका और उनकी आकांक्षाओं से संबंधित इन मुद्दों में से कुछ के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए हम राष्ट्रवाद के सख्त शासन से कैसे बचें ।

महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं ।

इसलिए मैं अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति के बारे में सोच रही थी । और अगर भारत को अफगानिस्तान के संबंध में एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति अपनानी होती, तो वह कैसी होती । और वास्तव में मेरे दिमाग में जो आया वह यह भी है कि भारत अक्सर सुरक्षा परिषद में अपने बयानों में, डब्ल्यूपीएस में इन बहसों में अन्य देशों का उल्लेख नहीं करता है। और अफगानिस्तान इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जो नीति कार्यान्वयन के संबंध में सामने आता है। और उस संबंध में, यह उतना ही ठोस हो सकता है जितना यह सुनिश्चित करना कि महिलाएँ शांति वार्ता में भाग लें। हम जानते हैं कि इस तथ्य पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि अंतर-अफगान संवाद में बहुत कम महिलाएँ थीं।

और इसलिए वहाँ एक मोर्चा लेना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, या जब भारत अफगानिस्तान को विकास सहायता प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करना कि वहाँ जेंडर बजटिंग है। जब वे कहते हैं कि अगर बुनियादी ढाँचा है, तो यह उस बुनियादी ढाँचे के विकास के लिंग-संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखता है। इसलिए मैं यहाँ पश्चिमी बनाम गैर-पश्चिमी विचार की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि वास्तव में केवल ठोस उदाहरण दे रही हूँ कि भारत इस संबंध में क्या करना चाहता है। धन्यवाद।

राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। मैंने देखा कि स्वाति हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह इंटरनेट की खराबी की वजह से साथ नहीं थीं। लेकिन अब वे हमारे साथ फिर से जुड़ गईं हैं । स्वाति, क्या आप उन टिप्पणियों में कुछ और जोड़ना चाहेंगी, जो सौमिता ने अभी-अभी की हैं? मुझे पता नहीं कि आपने सवाल सुना है या नहीं
डॉ. स्वाति पाराशर	हाँ, मैंने सुना। धन्यवाद। बहुत जल्दी क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि यह नोट कारन भी महत्वपूर्ण है, जबकि मैं अभी भी डब्ल्यूपीएस और एफएफपी दोनों की अपनी आलोचना के साथ खड़ी हूँ, हम संक्षिप्त शब्द को वैध बनाएँगे। मुझे अभी भी लगता है कि इसे केवल एक बाईनारी के रूप में सख्ती से मानने में मदद नहीं मिलती है, जिसे गैर-पश्चिमी-पश्चिम कहते हैं । हम एक अलग ही स्थान पर काम कर रहे हैं। हमें सतर्क रहने और लगातार जाँच करने की जरूरत है। लेकिन मैं सब कुछ इसके साथ

	जोड़ना चाहती थी कि पितृसत्तात्मक संस्कृतियों को सही तरीके से बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं।

यदि भारत को अफगानिस्तान के संबंध में एक लिंग-संवेदनशील विदेश नीति अपनानी होती, तो यह महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैसी होती, या जब भारत अफगानिस्तान को विकास सहायता प्रदान करता है, क्या वह यह सुनिश्चित करता है कि वहाँ लिंग बजट है?

तो मैं आपसे सहमत हूँ स्वर्णा, हम नहीं कर सकते, विदेश नीति से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा उदाहरण है जहाँ मैंने कई साल बिताए। उन्होंने एक समय पर फैसला किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे आलोचक सामने आए और लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि राष्ट्रीय हित के लिए महिला सुरक्षा को किस तरह से प्रतिभूतिकृत किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सफल मॉडल है कि उन्होंने इसे कैसे किया। और यह सत्ता में एक रूढ़िवादी, उदारवादी, राष्ट्रवादी पार्टी थी। फिर भी, उन्होंने यह कहने के लिए सैकड़ों और हजारों डॉलर का निवेश किया कि हमें समस्या है।

हमें समस्या है, उन्हें नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक समस्या है और उन्होंने जागरूकता बढ़ा कर, डेटा संग्रह कर के इसे बहुत अच्छी तरह से निपटाया, क्योंकि डेटा और इस समस्या का सामना कर रही प्रवासी महिलाओं सहित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वकालत केंद्र स्थापित करना भी एक बड़ा मुद्दा है। और फिर निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया नेतृत्व लेता है, विश्वविद्यालयों ने डब्ल्यूपीएस एजेंडे पर काम करना शुरू किया और इसी तरह आगे और भी। मुझे सच में लगता है कि यह टाई अप करने के लिए एक अच्छा मॉडल है। और एक बात जो हम यहाँ भी कह रहे हैं कि घरेलू अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय है; हम उन संबंधों को विदेश नीति के नारीवादी विचारों में बना रहे हैं।

और यहीं पर हम हैं, मेरा मतलब है कि पितृसत्तात्मक संस्कृतियाँ नहीं बदलेगी क्योंकि हमारी विदेश नीति ऊपर से नीचे की ओर है। यह बदल जाएगा क्योंकि हम रोजमर्रा के मुद्दों को, जो हो रहा है और राज्य कैसे व्यवहार करता है, से जोड़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है कि लंबी वंशावली को देखते हुए हमें कुछ आशा है कि वास्तव में सत्ता और शांति को अधिक राज्यों की तुलना में अधिक अलग तरीके से देखा जाएगा। मैं ऐसा काफी सोचती हूँ । उसके लिये आपका धन्यवाद।

राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा से मैं हमेशा एक विचार देख सकती हूँ कि हम राष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय कैसे बनाते हैं । दूसरे, हम विदेश नीति को और अधिक समग्र परिभाषा कैसे प्रदान करते हैं और सुरक्षा की हमारी परिभाषाओं में लैंगिक आयाम को कैसे शामिल करते हैं। और तीसरा, वह एक प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए मैं अपने प्रत्येक पैनलिस्ट से कहना चाहती हूँ , यदि आप कृपया कर सकते हैं तो बस एक मिनट के भीतर उत्तर दें । यदि भारत के लिए एक लिंग संवेदनशील विदेश नीति के निर्माण के लिए

	एक कदम आवश्यक समझा जाए, तो आप उसे कैसे परिभाषित करेंगे कि वह कदम क्या होगा ? और मैं स्वर्णा से शुरुआत करना चाहूँगी।
डॉ स्वर्णा राजगोपालन	मुझे लगता है कि वास्तव में हमारे सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालयों, निर्णय लेने वाले लोगों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण। और फिर वह प्रशिक्षण, अभ्यास में बदल जाता है। यह मेरा एक मिनट के भीतर का उत्तर है।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। सौमिता?

हमें विदेश नीति में अपने हितधारकों की फिर से कल्पना करनी होगी।

डॉ सौमिता बसु:	इस विषय पर अपने काम के आधार पर, मुझे लगता है कि मैं लिंग से संबंधित मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ अधिक जुड़ाव और उन पर एक भारतीय दृष्टिकोण रखने का सुझाव दूँगी और वास्तव में जो मौजूदा नीतियाँ हैं उनके साथ गंभीरता से जुडाव । धन्यवाद।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। स्वाति?
डॉ स्वाति पाराशर	हाँ। सोशल मीडिया में इस पैनल पर एक सज्जन ने आलोचना करते हुए कहा कि, जब आपके पास सभी महिलाओं का पैनल है, तो आप लैंगिक समानता पर चर्चा करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि ऐसे बहुत अधिक पैनल नहीं हैं जहाँ सभी महिलाएँ हैं। लेकिन खैर, उस टिप्पणी को और कई अन्य लोगों को चुनौती देने के लिए, यह इंगित करने की लालसा है कि हमारे पास विदेश सेवा में बहुत सारे पुरुष हैं और अगर हम विदेश सेवा में, निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को लेने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें इसके बारे में और अधिक शोर करना होगा, भले ही हम कहीं भी हों और हम कुछ भी करते हों । तो निश्चित रूप से अधिक महिलाएँ होनी चाहिए ।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	पूर्ण रूप से। बिन्दुलक्ष्मी?
डॉ. बिन्दुलक्ष्मी	मैं कहूँगी कि हमें विदेश नीति में अपने हितधारकों की फिर से कल्पना करनी होगी। यह सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों के दृष्टिकोण से आना होगा । और मैं यहाँ एक स्टैंड प्वाइंट ले रही हूँ, जहाँ कहीं भी हों सबसे अधिक हाशिए पर खड़े लोगों का यह स्टैंड प्वाइंट है, लिंग ही एकमात्र इकाई नहीं है, वहाँ कई चौराहे हैं।

राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। और आकाँक्षा?
सुश्री आकाँक्षा खुल्लर	मैं तो कहूँगी, जगह बनानी होगी । केवल भागीदारी और समावेश के मामले में जगह बनाना नहीं, बल्कि वास्तव में एक ऐसा स्थान प्रदान करना जहाँ विविध समूहों का प्रतिनिधित्व हो सके और वे अपनी आवाज उठा सकें। जैसा कि स्वाति ने कहा, जब आप शोर करेंगे तभी बदलाव आना शुरू होगा।
राजदूत निरुपमा राव (अध्यक्ष और मॉडरेटर)	धन्यवाद। और हम इस आकर्षक चर्चा के समापन की ओर आ रहे हैं, काश हमारे पास थोड़ा और समय होता। लेकिन मुझे यकीन है भविष्य में और अवसर आएँगे ।

वक्ताओं के बारे में

	राजदूत निरुपमा मेनन राव भारत की पूर्व विदेश सचिव
	राजदूत निरुपमा मेनन राव एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक, विदेश सचिव और राजदूत हैं। वे 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं । अपने चार दशक लंबे राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । वे विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में भारत की पहली महिला प्रवक्ता थीं; अपने देश से श्रीलंका में पहली महिला उच्चायुक्त, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में पहली भारतीय महिला राजदूत थीं । उन्होंने 2009-2011 तक भारत की विदेश सचिव के रूप में कार्य किया, उस कार्यकाल के अंत में, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने 2011-2013 तक दो साल की अवधि के लिए सेवा की । सक्रिय राजनयिक सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति पर, राजदूत राव ने शिक्षाविदों की दुनिया में प्रवेश किया, सुश्री राव अप्रैल-मई 2016 के दौरान न्यूयॉर्क के द न्यू स्कूल में इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट में विजिटिंग स्कॉलर थीं और जून 2017 से अगस्त 2017 के अंत तक वाशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर में उन्हें पब्लिक पॉलिसी फेलो नियुक्त किया गया। वे नवंबर 2017 में इटली के बेलाजियो सेंटर की प्रैक्टिशनर-इन-रेजिडेंस थीं। 2018 के दौरान, राव ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय और लोक कार्यों के स्कूल में जॉर्ज बॉल एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में भारत चीन संबंधों पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाया, जिसका शीर्षक था: भारत के चीन के साथ संबंध, सह-अस्तित्व से, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा तक । 2019 में, वह स्कूल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में पैसिफिक लीडरशिप फेलो थीं। वे वर्तमान में द विल्सन सेंटर की ग्लोबल फेलो हैं। उन्हें केरल सरकार के वनिता रत्न पुरस्कार (2016), रोटरी इंटरनेशनल, बैंगलोर का "असाधारण नागरिक" पुरस्कार(2018) और कलिंग करूबाकी साहित्य पुरस्कार (कलिंग साहित्य महोत्सव, ओडिशा, 2018) प्राप्त हुए हैं। 2012 में, उन्हें विदेशीपोहसी डॉट कॉम द्वारा ट्विटर पर 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की वैश्विक सूची में नामित किया गया था।

	डॉ. स्वर्णा राजगोपालन प्रज्ञा ट्रस्ट, चेन्नई की संस्थापक और प्रबंध न्यासी,
	डॉ. स्वर्णा राजगोपालन प्रशिक्षण से एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और दो दशकों से अधिक समय से सुरक्षा, लिंग और राजनीति पर लिख रही हैं। वह चेन्नई, भारत में एक लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार के रूप में काम करती हैं। वह प्रज्ञा ट्रस्ट की संस्थापक ट्रस्टी भी हैं, जो शांति, न्याय और सुरक्षा के क्षेत्रों में नीति अनुसंधान, वकालत और नेटवर्किंग के लिए एक गैर-लाभकारी केंद्र है। उनकी कंसल्टेंसी, चैतन्य ने शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसंधान सम्मेलन, कमीशन अनुसंधान, अनुसंधान दिशा और संवीक्षाओं के साथ-साथ परियोजना मूल्यांकन और समीक्षाएँ की है। वह पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा विषयों पर एक विद्वान के रूप में सक्रिय हैं। वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए लिखती भी हैं। डॉ. राजगोपालन ने राजनीति विज्ञान में अपनी पीएच.डी. (1998) अर्बाना-शैंपेन में इलिनोइस विश्वविद्यालय से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए(1985) सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय से और राजनीति विज्ञान में बी.ए. (1984) एलफिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उनका पीएचडी शोध प्रबंध दक्षिण एशिया में राज्य और राष्ट्र के रूप में प्रकाशित हुआ था (लिन रिएनर 2001/वाईवा 2006)। वह कई लेखों और अध्यायों की लेखिका हैं, और सुरक्षा, लिंग और राजनीति पर पुस्तकों की संपादक या सह-संपादक हैं।
	डॉ. स्वाति पाराशर निदेशक, गोथेनबर्ग सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट (जीसीजीडी), गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, स्वीडन
	डॉ. स्वाति पाराशर, गोथेनबर्ग सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट (जीसीजीडी) की निदेशक हैं और स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में पीस एंड डेवलपमेंट रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज एंड डिप्लोमेसी (सीआईएसडी), एसओएएस, लंदन के साथ एक शोध सहयोगी थीं और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली में विजिटिंग फेलो थीं। वह पहले ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय और

	आयरलैंड में लिमरिक विश्वविद्यालय में अकादमिक नियुक्तियों पर रह चुकी हैं। उनका शोध दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में हिंसा, शांति और विकास के मुद्दों पर केंद्रित नारीवाद और उत्तर-उपनिवेशवाद के बीच के अंतर्संबंधों से जुड़ा है। वे मिलेनियम: जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, क्रिटिकल टेररिज्म स्टडीज, सिक्योरिटी डायलॉग, इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स के सलाहकार बोर्डों में कार्यरत हैं और सुरक्षा पर क्रिटिकल स्टडीज की एसोसिएट एडिटर हैं।

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति- क्यों? और कैसे?	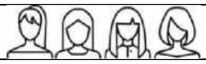

वह कई पुस्तकों और जर्नल लेखों की लेखिका और संपादक हैं और नियमित रूप से एक ऑप-एड लेखक के रूप में मीडिया की बहस में योगदान करती हैं। हाल ही में, उन्होंने रूटलेज हैंडबुक ऑफ फेमिनिस्ट पीस रिसर्च और कॉलोनियल लेगेसीज इन अफ्रीका इन थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली का सह-संपादन किया है।

	डॉ. सौमिता बसु सहायक प्रोफेसर, आईआर विभाग, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	डॉ सौमिता बसु दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायक प्रोफेसर हैं, वह दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट विश्वविद्यालय, ब्लूमफ़ोन्टेन में रिसर्च फेलो भी हैं। सौमिता ने पहले जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसरशिप के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और केन्योन कॉलेज में क्रमशः हेवर्ड आर. अल्कर और मेलन पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप प्राप्त की है। उन्होंने नई दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा, संघर्ष प्रबंधन और शांति में महिलाएँ (डब्ल्यूआईएससीओएमपी) और न्यूयॉर्क में महिला इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम (डब्ल्यूआईएलपीएफ) की शांति महिला परियोजना के साथ भी काम किया है। सौमिता के लेख लिंग, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र पर संपादित संस्करणों के साथ-साथ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, इंटरनेशनल स्टडीज पर्सपेक्टिव्स, मिलेनियम जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, पॉलिटिक्स एंड जेंडर, और सिक्योरिटी डायलॉग शामिल हैं। उनका सबसे हालिया प्रकाशन पॉल किर्बी और लौरा जे शेफर्ड के साथ सह-संपादित वॉल्यूम न्यू डायरेक्शन इन वीमेन, पीस एंड सिक्यूरिटी (ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2020) है। सौमिता ऑक्सफोर्ड रिसर्च इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की वरिष्ठ संपादक हैं, और इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड जेंडर, और रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के संपादकीय बोर्डों में कार्यरत हैं।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्	एक आईसीडब्ल्यूए वार्तालाप

	डॉ. बिन्दुलक्ष्मी पट्टादथ एसोसिएट प्रोफेसर, एडवांस्ड सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, *टी आईएसएस, मुंबई*
	डॉ. बिन्दुलक्ष्मी पट्टादथ एडवांस्ड सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी शोध रुचियाँ लिंग अध्ययन, श्रम, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, स्वास्थ्य और विकलांगता के क्षेत्र में हैं। 2009 में एक फैकल्टी के रूप में टीआईएसएस में कार्यरत होने से पहले, बिन्दुलक्ष्मी एम्स्टर्डम स्कूल फॉर सोशल साइंस रिसर्च (वर्तमान में एम्स्टर्डम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च), एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता थीं, और एक शोध कार्यक्रम 'अवैध लेकिन वैध: एशिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह और अनुमेय राजनीति' में लगी हुई थीं। बिंदुलक्ष्मी को भारतीय प्रवासी महिला घरेलू कामगारों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को समझने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत में नृवंशविज्ञान क्षेत्र कार्य करने का कई वर्षों का अनुभव है। लैंगिक प्रवासन, अंतरराष्ट्रीय श्रम और घरेलू काम पर उनका लेखन व्यापक रूप से प्रकाशित है।
	सुश्री आकाँक्षा खुल्लर शोधकर्ता, शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली में आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा केंद्र
	सुश्री आकाँक्षा खुल्लर शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा केंद्र में एक शोधकर्ता हैं। उनका शोध लैंगिक मुद्दों पर केंद्रित है, विशेष रूप से महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडा को समझने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को आकार देने में कैसे योगदान दिया है, इसकी पहचान करने पर केंद्रित है। आकाँक्षा वर्तमान में यूएनएससी आर1325 के साथ भारत के जुड़ाव की माप पर काम कर रही है और विश्लेषण कर रही है कि भारत में महिलाएँ संघर्ष - प्रबंधन और शांति स्थापना में कैसे भाग ले रही हैं। शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में शामिल होने से पहले, उन्होंने कई थिंक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ इंटर्नशिप की है । आकाँक्षा ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (एडवांस्ड) डिग्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है।

एक लिंग-संवेदनशील भारतीय विदेश नीति- क्यों? और कैसे?	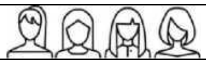

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

सप्रू हाउस, नई दिल्ली